सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
E-mail : nadwa@sancharnet.in
nadwa@bsnl.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक) 50 युएस. डॉलर	

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

मई, 2018 वर्ष 17 अंक 03

आया महीना रहमत वाला

आया महीना बरकत वाला, आया महीना रहमत वाला
रोज़े रखो पढ़ो नमाज़, करो तिलावत बादे नमाज़
करो जमाअत मस्जिद में, पढ़ो तरावीह मस्जिद में
ख़त्म करो उस में कुर्आन, ताकि राज़ी हो रहमान
रब ने अगर दिया है माल, करो ख़र्च गुरबा पर माल
सहरी खाओ शौक़ से, पढ़ो तहज्जुद ज़ौक़ से
ख़ल्क़ की ख़िदमत सदा करो, ताकि मौला राज़ी हो
घमण्ड कभी तुम करो नहीं, बुरी बात तुम कहो नहीं
बात करो तुम नर्मी से, ना कि गुस्सा गर्मी से
नबी पे रहमत और सलाम, या रब हरदम और मुदाम

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। SACHCHARAHI A/c. No. 10863759642 IFS Code: SBIN0000125 Swift Code: SBININBB157 State Bank of India, Main Branch, Lucknow. और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें। बराये करम पैसा जमा हो जाने के बाद दफ़्तर के फोन नं0 या ईमेल पर खरीदारी नम्बर के साथ इत्तिला ज़रूर दे दें।

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौ0 बिलाल अब्दुल ह़यी हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	07
रमज़ान का मुबारक महीना	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	08
इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद	हज़रत मौ0 अबुल हसन अली नदवी रह0	11
आदर्श शासक	मौलाना अब्दुस्सलाम क़िदवाई नदवी	14
नमाज़ की हक़ीक़त व अहम्मीयत	मौलाना मंजूर नोमानी रह0	17
इस्लाम के प्रचार–प्रसार का तरीक़ा	अल्लामा शिब्ली नोमानी रह0	24
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फ़र आलम नदवी	25
रोज़े की अहम्मीयत (महत्व)	मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी रह0	28
भारत का विधान	अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी	33
रोज़ों से मुतअ़ल्लिक़ कुछ बातें	फौज़िया सिद्दीक़ा फाज़िला	34
शरई उसूल व कुयूद	मौलाना शम्सुलहक़ नदवी	35
इन्सान की तलाश	डॉ0 कौसर यज़दानी नदवी	38
अहले ख़ैर हज़रात की खिदमत	इदारा	39
उर्दू सीखिए	इदारा	42

क़ुअ्नि की शिक्षा

—मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़यी हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-निसाः

अनुवाद–

तो उनके अहद (प्रतिज्ञा) तोड़ने, अल्लाह की आयतों का इनकार और नबियों के नाहक़ क़त्ल की वजह से और उनकी इस बात पर कि हमारे दिलों पर मोहर लगी हुई है (अल्लाह ने उन पर फिटकार की) बल्कि उनके इनकार की वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा दी तो बहुत ही कम वे ईमान लाते हैं[1](155) और उनके कुफ़्र और मरियम पर बड़ा लांछन लगाने की वजह से[2](156) और उनकी इस बात पर कि हमने अल्लाह के पैग़म्बर मरियम के बेटे ईसा मसीह को क़त्ल किया जब कि उन्होंने न उनको क़त्ल किया और न सूली दी बल्कि उनको संदेह में डाल दिया गया और जो लोग भी उनके बारे में मतभेद में पड़े वे ज़रूर उनके बारे में शक में पड़े हुए हैं, अटकल मारने के अलावा उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं और यह तय है कि उन्होंने उनको क़त्ल नहीं किया(157) बल्कि अल्लाह ने उनको अपने पास उठा लिया और अल्लाह ग़ालिब (प्रभुत्वशाली) है हिकमत वाला है[3](158) और अहल–ए–किताब में से हर एक उनकी मौत से पहले ज़रूर उन पर ईमान ला कर रहेगा और क़यामत के दिन वे उन पर गवाह होंगे[4](159) तो यहूदियों के अत्याचार के कारण हम ने कितनी ही पवित्र चीज़ें उन पर हराम कर दीं जो उनके लिए हलाल की जा चुकी थीं और इस वजह से कि वे अधिकतर अल्लाह के रास्ते का रोड़ा बनते थे(160) और उनके ब्याज लेने की वजह से जबकि उनको इससे रोका जा चुका था और नाहक़ (अनाधिकारिक रूप से) लोगों के माल खाने की वजह से और हमने उनमें इनकार करने वालों के लिए दुखद अज़ाब तैयार कर रखा है(161) लेकिन उनमें इल्म में गहराई रखने वाले और ईमान वाले उसको भी मानते हैं जो आप पर उतारा गया और उसको भी जो आप से पहले उतारा जा चुका और हर हाल में वे नमाज़ क़ायम रखते हैं[5], और ज़कात देने वाले और अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखने वाले यह सब ऐसे ही लोग हैं जिनको हम आगे बड़े बदले से सम्मानित करेंगे(162) बेशक हमने आप की ओर वह्य भेजी है जैसा कि हमने नूह और उनके बाद के नबियों की ओर वह्य भेजी और हमने इब्राहीम और इस्माईल और इस्हाक़ और याकूब और उनकी संतान और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और

सुलैमान की ओर भी वह्य भेजी और हमने दाऊद को ज़बूर दी(163) और कितने रसूल हैं जिनके हालात हम आप को पहले ही बता चुके और कितने पैग़म्बर हैं जिनके हालात हमने आपको अभी तक नहीं बताए और अल्लाह ने मूसा से अच्छे से बात की(164) यह वे रसूल हैं जो हमने भेजे शुभ समाचार सुनाने और सावधान करने के लिए ताकि इन पैग़म्बरों के बाद लोगों के लिए अल्लाह पर कोई आरोप न रह जाए और अल्लाह ज़बर्दस्त है हिकमत वाला है(165) लेकिन अल्लाह ने आप पर जो उतारा वह उस पर गवाह है, वह उसने अपने इल्म के साथ उतारा और फरिश्ते भी गवाह हैं और अल्लाह ही गवाही के लिए काफ़ी है[6](166) बेशक जिन्होंने इनकार किया और अल्लाह के रास्ते में रोड़ा बने वे दूर जा भटके(167) बेशक अल्लाह काफिरों और हक़ दबाने वालों को हरगिज़ माफ़ करने वाला नहीं और न ही उनको रास्ता देने वाला है(168) सिवाय दोज़ख़ के रास्ते के उसी में वे हमेशा रहेंगे और यह अल्लाह के लिए बहुत आसान है(169) ऐ लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से पैग़म्बर सत्य लेकर आ चुका, बस ईमान ले आओ कि तुम्हारा भला हो और अगर तुम नहीं मानते तो आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वह सब अल्लाह ही का है और अल्लाह खूब जानने वाला हिकमत वाला है[7](170)।

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. उनका काम लगातार नाफ़रमानियाँ (अवज्ञा) करना है वे ईमान लाने वाले नहीं हैं।

2. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इन्कार किया हज़रत मरियम पर अवैध संबंध का लांछन लगाया।

3. यहूदी कहते हैं कि हमने ईसा को सूली (फांसी) पर चढ़ा दिया, ईसाई विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, कोई कहता है शरीर को सूली हुई पवित्र आत्मा ऊपर चली गई कोई कहता है कि सूली के तीन दिन बाद उठा लिए गए और सही बात यह है कि न उनको क़त्ल किया जा सका और न सूली पर चढ़ाया जा सका बल्कि अल्लाह ने उनको अपने पास उठा लिया, हां सूली देने वालों को संदेह में डाल दिया गया और वह यह कि उनको सूली के लिए ले जाया जा रहा था तो शुक्रवार का दिन था और सूर्यास्त होने वाला था उसके बाद उनके सब काम बन्द हो जाते थे और सनीचर छुट्टी का दिन था इसलिए उनको फांसी की जल्दी थी, उनके यहां नियम था कि जिसको फांसी होनी होती थी वही सूली की लकड़ी लेकर चलता था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कमज़ोर हो गए थे, लकड़ी उठा कर तेज़ चलना मुश्किल हो रहा था, उनमें एक मनचले ने लकड़ी उनसे ले ली और तेज़ तेज़ आगे बढ़ने लगा, जब सूली की जगह पहुंचे तो जो लकड़ी लिए हुए था उसी को पकड़ लिया गया और अल्लाह का करना कि वह ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबेह (अनुरूप) कर दिया गया,

शेष पृष्ठ....10 पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

बैअ़त की शर्तें:-

हज़रत असद बिन असीद ताबई से रिवायत है कि वह ऐसी औरत से रिवायत करते हैं जिसने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बैअ़त की थी, उन्होंने कहा जिन बातों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हम से बैअ़त ली थी वह यह थीं।

(1) हम नाफरमानी न करेंगे।

(2) अपने चेहरे न पीटेंगे।

(3) वावेला न मचायेंगे (अर्थात रो पीट कर शोर न माचायेंगे)।

(4) गिरेबान न फाड़ेंगे।

(5) बाल न नोचेंगे। (अबूदाऊद)

हज़रत अबू मूसा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जब मृतक पर रोने वालों की भीड़ होती है और वह उसकी खूबियां बयान कर कर के रोते हैं मसलन ऐ पहाड़, ऐ मेरे सरदार और इसी प्रकार के अल्फाज़ तो इस मृतक पर दो फरिशते तैनात किये जाते हैं, वह उसके सीने पर मुक्के मारते हैं और कहते हैं तू इसी प्रकार था। (तिर्मिजी)

दो गलत आदतें जो कुफ्र तक पहुंचाने वाली हैं:-

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया दो आदतें लोगों में ऐसी हैं जो उनके हक़ में कुफ़्र हैं, एक तो नसब में ऐब लगाना, दूसरे मृतकों पर रोना पीटना और चिल्लाना।

(मुस्लिम)

काहिनों और नुजूमियों के पास आने जाने की मुमानियत:-

काहिनों की भविष्यवाणी की सत्यता:

हज़रत आईशा रज़ि0 से रिवायत है कि लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम काहिनों के बारे में आप क्या कहते हैं, उनकी बात काबिले भरोसा है या नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया वह कुछ नहीं, लोगों ने अर्ज किया हुजूर यह बहुत सी बातें ऐसी बताते हैं जो सच होती हैं, आपने फरमाया अस्ल यह है कि एक बात हक होती है जिसको जिन्न फरिश्तों से उचक लेते हैं (अर्थात शैतान आसमान से फरिश्तों की बातें जो खुदाई आदेशों के प्रति होती थीं चोरी छुपे सुन आते थे फिर काहिनों को बता दिया करते थे, काहिन उसमें अपनी ओर से बातें मिला कर लोगों को खबर देते थे और लोग उसको मान लेते थे, जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नबी बना कर भेजा गया तो शैतान आसमान पर जाने से रोक दिये गये और कहानत बातिल हो गयी) और वह अपने दोस्त के कान में डाल देते हैं, वह लोग उसके साथ सौ झूठ मिला कर बयान करते हैं। (बुखारी—मुस्लिम)

शेष पृष्ठ....23 पर

रमज़ान का मुबारक महीना

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मुबारक (शुभ) महीना अल्लाह तआला की रहमतें व बरकतें लिए आ गया। इनशा अल्लाह अ़क़्ल (बुद्धि) रखने वाले सारे व्यस्क मुसलमान मर्द हो या औरत रोज़ा रखेंगे, बड़े ही कर्म हीन (बद नसीब) हैं वह लोग जो ऐसे बरकत व रहमत वाले महीने में अपने को वंचित रखते हैं, ऐसे लोग यही नहीं कि उसकी रहमतों और बरकतों से वंचित रहेंगे अपितु उनको अगले जीवन में (अर्थात आखिरत में) अल्लाह के आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड भी भुगतना होगा। अतः किसी व्यस्क मुसलमान को रमज़ान का कोई रोज़ा छोड़ना न चाहिए सिवा उन लोगों के जिन को कोई शरई उज़्र (आपत्ति) हो जिसका बयान आगे किसी लेख में आ रहा है।

समझ रखने वाले लोग तो रमज़ान का भव्य स्वागत करते हैं और एक दूसरे को कहते हैं रमज़ान मुबारक हो। वह रमज़ान का चाँद दिख जाने के बाद शाम ही को नीयत करते हैं कि सुब्ह को मैं रोज़ा रखूंगा इसलिए कि नीयत के बिना रोज़ा सहीह न हो सकेगा। यह नीयत मग़रिब से पहले नहीं की जा सकती, चाहिए कि रात ही में नीयत कर लें नीयत करना रह गया तो सुब्ह को दोपहर से पहले पहले दस ग्यारह बजे तक नीयत की जा सकती है, रोज़े के लिए सहरी खाना भी नीयत है, नीयत ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है अगर ज़बान से कह ले तो यह अच्छी बात है अन्यथा दिल में इरादा करना कि सुब्ह को रोज़ा रखूंगा काफी है। रमज़ान में हर रात यह नीयत की जाएगी एक ही रात में एक से अधिक रोज़ों की नीयत स्वीकार न होगी।

रमज़ान का चाँद दिख गया, इशा की नमाज़ का वक़्त आ गया तो मुसलमान कुछ अधिक एहतिमाम से मस्जिद पहुंचे इशा की नमाज़ के बाद तरावीह की नमाज़ हुई, इमाम साहिब खुश इलहानी से कुर्आन पढ़ रहे हैं, एक मौक़े पर एक वतनी भाई ने मुझ से सुब्ह को पूछा अरे यह कौन सी नमाज़ हो रही थी, समझ में तो आ नहीं रहा था परन्तु जो कुछ पढ़ा जा रहा था वह बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा वह तरावीह की नमाज़ थी जो पूरे रमज़ान में इसी तरह इशा की नमाज़ के बाद पढ़ी जाएगी। और जो आवाज़ आप सुन रहे थे वह पवित्र कुर्आन के पाठ की आवाज़ थी। वतनी भाई ने कहा आप लोग ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बड़े परिश्रम करते हैं, ईश्वर आप लोगों को खुश रखे।

रात के पिछले समय लोग सहरी खाने को उठे जिस की जैसी हैसीयत थी सहरी के लिए हल्का फुल्का स्वादिष्ट खाना तैयार कराया था, बड़ी चहल पहल रही लोगों ने सहरी खाई, बाज़ छोटे बच्चों ने भी सहरी

खाई, उनकी माँ ने उनको खुश करने के लिए कहा सहरी खा लो तुम बड़ा वाला रोज़ा रखोगे। बाज़ लोगों ने लाउड़ स्पीकर पर एलान शुरुअ़ किया मुसलमानों उठो सहरी खाओ और यह एलान बार बार होता रहा, फिर सहरी का समय समाप्त होने लगा तो दस मिनट पहले ही से बार बार ऐलान होता रहा कि सहरी के वक़्त में केवल दस मिनट रह गये हैं, फिर कहा अब पाँच मिनट रह गये हैं, फिर कहा अब तीन मिनट रह गये हैं, अन्त में कहा सहरी का वक़्त समाप्त हो गया है, यह ऐलान मस्जिदों से भी हुआ और बाज़ जगह यह ऐलान टोली बना कर पूरे महल्ले में घूम घूम कर साथ में अशअ़ार पढ़ते हुए हो रहा था। सुब्ह को कुछ हिन्दू भाईयों ने कहा क्या यह शोर गुल भी उपासना का अंग है? इससे तो हम लोग जो मुसलमान नहीं हैं उनकी नींद ख़राब होती है? मैंने जवाब दिया कि हां यह अच्छी रस्म नहीं है इसकी इस्लाह होना चाहिए इसका रमज़ान की इबादत से कोई तअल्लुक़ नहीं है, आज कल तो हर हाथ में घड़ी है हर जेब में मोबाइल है फिर चिल्ला चिल्ला कर इस एलान की क्या ज़रूरत, विशेष कर सम्मिलित समाज में इस से बचना ज़रूरी है ताकि दूसरों पर बुरा प्रभाव न पड़े, फिर आमतौर से मस्जिद में लिखा लगा होता है कि खत्मे सहर का वक़्त यह है और इफ़्तार का वक़्त यह है, इसके अलावा बहुत से लोगों के पास सहरी व इफ़्तार के वक़्त का कार्ड होता है, फिर इस शोर व गुल से दूसरों को परेशान करना उनकी नींद खराब करना सवाब का नहीं गुनाह का काम है। इसी प्रकार फ़र्ज़ नमाज़ से या तरावीह को लाउडस्पीकर पर बुलन्द आवाज़ से पढ़ना भी अच्छा नहीं है, जब अल्लाह तआला का हुक्म है कि नमाज़ न बहुत ज़ोर आवाज़ से पढ़ो न बहुत हल्की आवाज से पढ़ो बल्कि बीच की आवाज़ से पढ़ो देखिए सूरे बनी इस्राईल की आयत नं0 110, लिहाज़ा हम मुसलमानों को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए और इसमें तब्दीली लाना चाहिए।

अगर लाउडस्पीकर इस्तेमाल करें तो उसकी आवाज़ ऐसी हो कि मस्जिद के बाहर न जाये।

सुब्ह हुई लोग रोज़े से हैं जिस से मिलते हैं नर्मी से बातें करते हैं बुरी बातों से परहेज़ करते हैं लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं, एक रोज़ेदार से कोई उलझ गया, वे सख़्त बातें करने लगा तो रोज़ेदार ने कहा भाई मैं रोज़े से हूं रोज़े में लड़ना झगड़ना मना है, मुझ से जो ग़लती हुई हो मुझे मुआफ़ कर दें मैं आप की सख्त बातों का जवाब न दूंगा, यह देख कर और सुन कर बाज़ दूसरे वतनी भाई बहुत प्रभावित हुए।

रोज़ेदार समाज के भले कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अगर रोज़ेदार साहिबे निसाब मालदार है तो रमज़ान में अपने माल का हिसाब करके अपने माल का ढाई फ़ीसद ज़कात निकाल कर अपने गरीब मुस्लिम भाईयों को पहुंचाता है, वह ग़ैर मुस्लिम गरीब भाईयों की भी

मदद करता है मगर ज़कात से नहीं दूसरे माल से।

रोज़ेदार अगर नौकर है नौकरी चाहे निजी हो या सरकारी तो वह बड़ी पाबन्दी से नौकरी के समय का लिहाज़ करता है और अपना काम ठीक तौर पर करता है, मुसलमान तो हमेशा घूस लेने से बचता है, रमज़ान में इस का और एहतिमाम करता है यह देख कर दूसरे वतनी भाई प्रभावित होते हैं और कह उठते हैं कि यह कैसा शान्तिमय तथा शुभ जीवन है।

एक मुसलमान गुनाहों से हमेशा बचता है लेकिन एक रोज़ेदार अधिक सावधान रहता है वह झूठ नहीं बोलता, किसी की चुग़ली नहीं खाता ना किसी की ग़ीबत (परोक्ष निन्दा) करता है ना किसी की बहन बेटी पर बुरी नज़र डालता है वह नमाज़ का पाबन्द तो पहले ही से था रमज़ान में जमाअ़त की पाबन्दी ज़ियादा करता है, वह प्रतिदिन कुर्आन का पाठ करता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ता है और लोगों को भले काम करने की दावत देता है। और बुराइयों से दूर रहने का अह्वान करता है। आप बताइये हर मुसलमान अगर इसी प्रकार रमज़ान गुज़ारे तो क्या वतनी भाइयों पर इसका अच्छा प्रभाव न पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा अल्लाह तआला हम को सही तौर पर रमज़ान गुज़ारने की तौफ़ीक़ से नवाज़े। आमीन।

❖❖❖

कुर्आन की शिक्षा.....

बस सब ने उसी को पकड़ कर सूली पर चढ़ा दिया, और उसी बीच हज़रत ईसा को उठा लिया गया, तो अपनी समझ से उन्होंने ईसा को फांसी पर लटकाया था और वास्तव में वह कोई और था।

4. हज़रत ईसा अलै0 जीवित हैं, दज्जाल के युग में आएंगे, उसको मारेंगे फिर सब यहूदी ईसाई उन पर ईमान ले आएंगे, और मुसलमान तो उनको पैगम्बर मानते ही हैं।

5. इससे विशेष रूप से नमाज़ का महत्व बताना मक़सद है कि अपने सारे वांक्षित गुणों के साथ किसी हाल में भी नमाज़ नहीं छोड़ते।

6. पैग़म्बरों पर जो उतरा वह सत्य है सब पर ईमान लाना संक्षिप्त रूप में अनिवार्य है लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरा उसमें वह इल्म है जो अल्लाह ने ज़ाहिर करने के लिए भेजा, यह विशेषता और किसी किताब को नहीं, यह किताब क़यामत तक इसी तरह क़ायम रहेगी इसकी एक एक आयत और एक एक शब्द को मानना अनिवार्य है।

7. आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अल्लाह की किताब की पुष्टि व सत्यापन और यहूदियों व ईसाईयों के गुमराह होने का एलान कर दिया गया कि सच आ चुका, सच्चे और अंतिम पैग़म्बर आ चुके, अंतिम किताब आ चुकी मानोगे तो तुम्हारा भला है वरना अल्लाह में पूरी शक्ति है वह मानने वालों और न मानने वालों सबको जानता है इसके अनुसार वह व्यवहार करेगा।

❖❖❖

–प्रस्तुति–
जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद

–हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी (रह0) – अनुवादकः मुहम्मद हसन अंसारी

हिन्दुस्तान में तौहीद की दावतः–

हिन्दुस्तान में जहाँ विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से इस्लाम की बुन्याद हमेशा से कमज़ोर है, और जो दुन्या के कुछ बड़े मुशरिकाना (बहुदेववादी) धर्मों व सम्प्रदायों का केन्द्र और वतन है, इस्लाम का चश्म–ए–साफी (साफ स्वच्छ स्रोत) ज़ियादा गन्दा होने लगा था। और आशंका थी कि यह चश्म–ए–हैवान इस अन्धियारी में इस तरह गुम हो जाये कि किसी महापंडित को भी इसका निशान न मिले।

हज़रते मुजद्दिदे अलिफ़े सानी रहमतुल्लाहि अलैहिः–

मुजद्दिदे आलिफे सानी रह0 ने जब अपनी सुधार यात्रा शुरु की तो नबियों के नबूवत के कार्य के ठीक क्रम के अनुसार पहला कदम यहीं से उठाया। जहाँगीर के सामने सज्दा करने से इन्कार आपके सुधार के इतिहास का उज्जवल अध्याय है। अपने पत्रों में सुस्पष्ट तथा जचे तुले शब्दों में तौहीद की व्याख्या की। अल्लाह की वहदानियत उसके तनहा इबादत के लाएक (पूज्य) होने की दलीलें बयान कीं जो आपके ज्ञान के विश्वस्ता का नमूना है। शिर्क के रसमों व मज़ाहिर (रूपों) का खण्डन, जाहिली रसमों, मुश्रिकों वाले कार्यों और काफ़िारों की नक़ल से अपने अनुयाइयों को सख़्ती से मना किया, क्योंकि सुधार का काम इसके बिना शुरु ही नहीं हो सकता, पूरा होना तो दूर रहा।

ख़ास कर तरीक़त व तसव्वुफ (आत्मशुद्धि, अध्यात्म) का खुलासा व उद्देश्य इसके अलावा कुछ नहीं कि अल्लाह से ऐसा लगाव पैदा हो जो कभी किसी से न हो, ऐसी अल्लाह की याद जिसमें कभी भूल न हो और ऐसी एकाग्रता जिसमें कोई असमंजस न हो। यह उस समय तक सम्भव नहीं जब तक ब्रह्माण्ड की तमाम चीज़ों के बारे में लाभ व हानि, शक्ति व अधिकार का विचार समाप्त न हो जाये और मन–मस्तिष्क उनकी महब्बत व महानता और उनसे भय व लालसा रखने से पूर्ण रूप से स्वतंत्र न हो जाये, और वह किसी अर्थ में भी उद्देश्य व लक्ष्य और न उनसे प्रेम हो न भय न अति आदरणीय, न प्रिय और संक्षेप में इलाह व माबूद न रहें। इख़लास (निष्ठा) का मक़ाम है जिसकी तरफ़ नबी और उनके उत्ताधिकारी मार्गदर्शन करते हैं। मुजद्दिद साहब ने इसी की ओर बुलाया तथा विभिन्न स्थानों पर इसको स्पष्ट किया है।

मान्यवर! सुलूक (ईश्वर की खोज) की मंजिलों को

तय करने और भावना के स्थलों को पार कर लेने के बाद मालूम हुआ कि इस सैर व सुलूक का मक़सद मक़ामे (लक्ष्य) इखलास (निष्ठा) को हासिल करना है, जो जुड़ा है सांसारिक पूज्यों की समाप्ति (फना) के साथ।

एक दूसरे पत्र में लिखते हैंः–

अन्तःकरण की बीमारियों की जड़ और मन के रोगों की अस्ल दिल के अल्लाह के अलावा के साथ व्यस्तता है। जब तक इस गिरफ़्त (लिप्तता) से पूरी आज़ादी हाथ न आये शुद्धता कठिन है। क्योंकि अल्लाह की सेवा में किसी की शिर्कत (सहभागिता) की गुंजाइश नहीं, कुर्आन की आयत है ''खालिस इबादत (शुद्ध उपासना) व इताअत (आज्ञापालन) अल्लाह ही का हक़ है''। यह तो हो ही नहीं सकता कि शरीक को आगे कर दें। बड़ी बेहयाई है कि गैर अल्लाह की महब्बत को इस हद तक ग़ालिब बना लिया जाये कि अल्लाह तआला की महब्बत इस में समाप्त या दब जाये।

तौहीद के कुछ बुद्धिमता के उदाहरणः–

हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि (मृत्यु 561 हिज्री) ने जिनकी बुजुर्गी पर मुसलमानों के सारे मत सहमत हैं, एक बड़ी बुद्धिमता की मिसाल से तौहीद की व्याख्या की है और जो लोग मुसीबत को दूर करने या किसी तरह का नफा हासिल करने के लिए गैर अल्लाह का सहारा लेते हैं, उनकी मूर्खता का नक्शा खींच दिया है। फरमाते हैं– ''तमाम मखलूक (सृष्टि) को एक ऐसा आदमी समझो जिसके हाथ, एक अत्यन्त विशाल व महान साम्राज्य के बादशाह ने जिसका शासन महान है, उसका वर्चस्व और ताक़त कल्पना से परे है बाँध दिये हों, फिर उस बादशाह ने उस आदमी के गले में फंदा डाल दिया है, और उसके पैर भी बांध दिये, इसके बाद चीड़ के एक ऐसे पेड़ से लटकाया है जो ऐसी नदी के किनारे है जिसकी गहराई बेपनाह और जिसका बहाव तेज़ है, इसके बाद बादशाह खुद एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो बड़ी शानदार और बुलन्द है, इतनी कि उस तक पहुंचने का इरादा करना और पहुंचना कठिन है, उस बादशाह ने अपने पहलू में तीरों, भालों, बर्छों और अनेक प्रकार के हथियार तथा औजारों का इतना बड़ा जखीरा रख लिया है कि उसकी मात्रा का अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब जो व्यक्ति इस दृश्य को देखे क्या उसके लिए मुनासिब है कि बादशाह की तरफ देखने के बजाय, इस सूली पर लटके हुए व्यक्ति से डरे और उससे उम्मीद लगाये, जो व्यक्ति ऐसा करेगा क्या वह हर समझदार के नज़दीक बे अक़ल, मजनूं और इन्सान के बजाय जानवर कहलाने का पात्र नहीं?

हज़रत शैख शर्फुद्दीन यह्या मुनेरी रह0 अल्लाह की अज़मत (महानता) और बड़ाई, अपनी मखलूक (सृष्टि) पर पूर्ण अधिकार और स्वतंत्र हस्तक्षेप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वह जो

चाहता है करता है, उसको किसी की परवाह नहीं होती, अपनी मर्जी पर चलता है, किसी की मजाल नहीं कि कुछ पूछ सके, ज़बाने कटी हुई, मुँह बन्द। एक पत्र में अपने एक शिष्य को लिखते हैं, और इस हक़ीक़त को इस तरह बयान करते हैं कि दिल काँप उठता और बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फरमाते हैं:–

"वह जो चाहता है करता है, उसे किसी की बर्बादी व मोक्ष की कोई परवाह नहीं होती। देखो! एक इन्सान किसी तरह प्यास से तड़प कर दम तोड़ता है और कहता है कि मेरे नीचे नहरें जारी हैं और मैं प्यास से मर रहा हूं, पानी की एक बूंद नसीब नहीं होती, फरिशता ग़ैब से उसको आवाज़ देता है और कहता है, मैं हज़ारों सिद्दीकीन (सत्यवादियों) को अन्धेरे व डरावने जंगल और शुष्क व चटियल रेगिस्तान में लाता हूं और सबको क़त्ल कर देता हूं ताकि उनकी आँखों और गालों को कौओं और गिद्धों का भोजन बनाऊँ, जब कोई बोलना चाहता है तो उसकी ज़बान पर मुहर लगा देता हूं और कहता हूं वह जो चाहता है करे, कोई कुछ पूछ नहीं सकता, यह पक्षी भी मेरे हैं और सिद्दीकीन भी मेरे हैं, बीच में बोलने वाला (फुजूली) कौन है? जो हमारे अमल की आलोचना करता है।

हज़रत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैहि:–

हज़रत मीर सैयद अली हमदानी को खतलान (एक स्थान) से कौन सी चीज़ खींच कर कश्मीर लाई? क्या इस सुन्दर घाटी की सुन्दरता खींचकर लाई? क्या हिमालय पर्वत की ऊँची–ऊँची चोटियों के सिलसिले और घाटियों की हरियाली खींच कर लाई? वह जिस क्षेत्र से आये थे वह भी सुन्दर इलाक़ा था। फलों और फूलों से भरा हुआ था। फिर क्या चीज़ है जो उनको यहां लाई।

मैं आपको बताऊँ कि वह कौन सी चीज़ थी जो उनको खींच कर लाई। वह एक ग़ैरत थी, जिसको अपने महबूब से ज़ियादा महब्बत होती है, उसकी ज़ात व सिफात की ज़ियादा मारफत (पहचान) होती है और उसके सद्गुणों व कमालात पर ज़ियादा यक़ीन होता है, उसमें उतनी ही अपने महबूब के प्रति ग़ैरत होती है। एक नावाक़िफ़ आदमी लाल व जवाहर को ईंट व पत्थर की तरह डाल देता है। क़ीमती हीरे को अज्ञानता से तोड़ देता है। लेकिन जौहरी को देखिये कि वह किस तरह एक एक फूल पर कुरबान होता है और इसको पसन्द नहीं करता कि उस पर कोई शिकन आये। बुलबुल से पूछिये फूल के सम्बन्ध में, परवानों से पूछिये शमा के बारे में, आशिक से पूछिये माशूक के बारे में और खुदा के पैगम्बरों और उसके आरिफों (पहचानने वालों) से पूछिये तौहीद के बारे में।

❖❖❖

आदर्श शासक

–मौलाना अब्दुस्सलाम क़िदवाई नदवी
–अनुवादः अतहर हुसैन

दूसरे ख़लीफा
हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि०
यह था इस्लामी शासन
और यह थे इस्लामी शासकः–

एक दूसरी घटना और सुनिए। हज़रत उमर रज़ि० के शासन काल में एक बार राज्य में अकास्मात अकाल की विपत्ति आ पड़ी। इस विपत्ति को दूर करने के लिए आपने रात–दिन एक कर दिये। दूर–दूर के देशों से लाखों मन अन्न मंगवाया। हर समय यही चिन्ता लगी रहती कि किसी प्रकार अकाल का संकट दूर हो। एक ओर तो अन्न की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते और दूसरी ओर अकाल के दूर होने के लिए रो–रो कर खुदा से दुआ करते। जब दौड़–धूप से फुर्सत मिलती तो सजदे में सिर रख कर कहते "ऐ मालिक! अपने इन पृथ्वी वासियों पर दया कर अगर मुझ से कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दे। मेरी किसी गलती के कारण समस्त देश संकट से न घिरे।"

कभी हज़रत अब्बास को सम्मुख लाकर प्रार्थना करते– "हे स्वामी! तेरे रसूल के चाचा को शिफ़ारसी बना कर लाया हूं, अपने रसूल के सदक़े में अपने बंदों पर दया कर।" बराबर लोगों के बारे में पूछ–ताछ करते रहते और स्वयं तमाम मामलों की देख भाल करते। गली–गली फिरते, लोगों के मकानों पर जाते और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते। भोजन यों भी अति साधारण था, परन्तु देश की तत्कालीन परिस्थिति में बहुधा फ़ाक़े से रहते। प्रतिज्ञा कर ली थी जब तक यह विपत्ति दूर न होगी उस समय तक न तो दूध प्रयोग करेंगे और न गोश्त ही का सेवन करेंगे। जब कुछ परिस्थिति सुधरने लगी और बाज़ार में वस्तुएं आने लगीं तो एक दिन सेवक बाज़ार से थोड़ा दूध और घी मोल ले आया। ये वस्तुएं आपके सम्मुख रखी और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, उस मालिक ने हम पर बहुत दया की। अब आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, बाज़ार में वस्तुएं प्रयाप्त मात्रा में आने लगी हैं। अब आप कुछ ऐसे भोजन का सेवन करें जिससे शरीर को बल तथा शक्ति प्राप्त हो और इसलिए थोड़ा सा घी और दूध ख़रीद लाया हूं। अकाल के संकट के कारण समय–समय पर निराहार रहते रहते तथा अपौष्टिक भोजन के सेवन करते करते हज़रत उमर रज़ि० बहुत दुर्बल हो गए थे, शरीर का रंग ही बदल गया था। ऐसी अवस्था में, जब कि अकाल का संकट भी दूर हो चुका

था, उन्हें उत्तम तथा पौष्टिक भोजन की अति आवश्यकता थी। परन्तु अपने को शासक के बजाय प्रजा का सेवक समझते थे। सेवा तथा समता की जो भावना उनके सम्मुख थी उसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है, इन सेवकीय भावनाओं तथा विचारों के उपरान्त भला इसकी कहां गुंजाइश थी कि वह प्रजा के मुक़ाबले में अपने को किसी भांति की श्रेष्ठता देते। उन्होंने विचार किया कि बाज़ार में वस्तुएं अवश्य आने लगी हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं कि सब को दूध इत्यादि सुविधा पूर्वक मिल सके। यह सोच कर आपने प्रस्तुत किये गए घी तथा दूध का सेवन करने से इन्कार कर दिया और कहा– ''जाओ यह सब उन्हें दे आओ जो इसके अधिकारी हैं मुझे अपने भोजन में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।'' उसके बाद आपने कहाः–

''मुझे जनता की स्थिति तथा उनकी कठिनाई का अनुभव कैसे हो सकता है यदि मैं उनके दुख–दर्द में सम्मिलित न होऊँ और उस आपत्ति तथा कठिनाई को स्वयं न सहन करूँ जिसमें वे ग्रस्त हैं।''

इन पंक्तियों को फिर पढ़िए और उनका विवेचन कीजिए क्या कोई शासक है जिसका यह लक्ष्य हो, जो जन सेवा का यह उत्तम ध्येय रखता हो और जो बन्धुत्व तथा समता की ऐसी उच्च भावनाएं रखता हो। बड़े बड़े दावे और ऊँचे–ऊँचे बोल आपने बहुत सुनें होंगे, बड़े ज़ोरदार नारे बहुधा कानों में गूंजे होंगे परन्तु सच बताइये जन सेवा की ऐसी घटनाएं क्या किसी शासक के जीवन में पाई जाती हैं और इस्लाम के अतिरिक्त भ्रातृत्व तथा समानता और सहानुभूति तथा संवेदना का उदाहरण कहीं और भी पाया जाता है।

क्या ही अच्छा होता, यदि लोग कल्याण तथा सम्पन्नता के स्रोत की ओर ध्यान देते तो आपत्ति का मारा, दुखित तथा पीड़ित मानव सुख तथा शान्ति का जीवन व्यतीत कर सकता।

इसी अकाल के समय की एक और घटना सुनिए। एक दिन आपने देखा कि उनका छोटा बच्चा एक ख़रबूज़ा हाथ में लिए खा रहा है। यह दृश्य देख कर आपको बहुत दुख हुआ तुरन्त बढ़ कर बच्चे के हाथ से ख़रबूज़ा छीन लिया और कहा– ''खेद है मेरी दशा पर, सारा देश तो अकाल के संकट में ग्रस्त है लोग एक एक दाने को तरस रहे हैं और तू है कि मेवे खा खा कर दिल खुश कर रहा है।''

केवल दो दिरहम रोज़ाना ले कर और मोटा झोटा खा पहन कर जीवन व्यतीत कर दिया।

ख़लीफ़ा होने के बाद कुछ समय तक वेतन नहीं लेते थे और यही इच्छा थी कि इस सेवा के लिए कोई मासिक वेतन न लें। परन्तु खिलाफ़त का ही भार इतना था कि निजी आवश्यकताओं

हेतु प्रयास करने का अवसर न मिलता था। अन्ततः विवश हो कर जीवन निर्वाह हेतु बैतुल माल से ख़र्चा लेना पड़ा, परन्तु वह भी इतना लेना स्वीकार किया कि आज तक आश्चर्य होता है अर्थात दो दिरहम प्रतिदिन! कहा करते थे कि ख़िलाफ़त के उत्तरदायित्व के उपरान्त में अपने आपको एक अनाथ के अभिभावक के समान समझता हूं। अगर वह सामर्थ्य रखता हो तो उसके लिए अनाथ के धन में से कुछ लेना वैध नहीं और यदि असमर्थ हो तो आवश्यकतानुसार ले सकता है। बिल्कुल यही दशा मेरी है। जहां तक मुझ से हो सके मुझे राजकोष से कुछ न लेना चाहिए परन्तु इसके अतिरिक्त कि, मैं कुछ लूं, यदि कोई और चारा ही न हो तो कम से कम धन पर मुझे संतुष्ट हो जाना चाहिए यह दो दिरहम भी इस इरादे के साथ स्वीकार किये थे कि जब अवसर मिलेगा यह धन वापस कर देंगे। अतः स्वर्गवास के समय वसीयत की कि उनका मकान तथा सम्पत्ति बेच कर राजकोष का यह ऋण चुकाया जाय और यदि यह भी पूरा न पड़े तो उनके सम्बन्धियों तथा कुटुम्बियों से सहायता ली जाये।

असाधारण सावधानीः-

आपकी असावधानी की यह दशा थी कि ज़रूरत पड़ने पर बैतुलमाल से ऋण तक न लेते थे। यदि कभी बहुत ही आवश्यकता पड़ती तो किसी व्यक्ति से मांग कर काम चलाते। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ि0 एक मालदार सहाबी हैं। उस समय उनका व्यापारिक कारोबार उन्नति पर था। एक बार आपने उनसे कर्ज़ मांगा। उन्होंने कहा कि आपको किसी से मांगने की क्या ज़रूरत, बैतुलमाल में लाखों रूपये मौजूद हैं, आप आवश्यकतानुसार उस में से कर्ज़ ले लें और जब गुंजाइश हो चुका दें। आपने उत्तर दिया कि मैं ऐसा करना पसन्द नहीं करता। यदि आप लोगों का कर्ज़ा होगा तो आशा है कि आप तक़ाज़ा करके वसूल कर लेंगे, परन्तु बैतुलमाल की ओर से मुझ से कौन तक़ाज़ा करने आयेगा। अगर कहीं मैं मर गया तो आप लोग सीधे–सीधे यह तय कर लेंगे कि इस मामले को आया गया किया जाये और मेरी पकड़ बाक़ी रह जाये, परन्तु यदि किसी का निजी धन मेरे ज़िम्मे होगा तो वह मेरी सम्पत्ति से वसूल कर लेगा। इस प्रकार आपने शासकों के लिए एहतियात का सर्वोत्तम आदर्श उपस्थित कर दिया। अपयोजन अर्थात ख़्यानत से तो लोग बचते हैं परन्तु ऋण लेने में प्रायः कोई हर्ज नहीं समझते हैं, इस प्रकार राज्य की आय शासन के ख़र्च में आती रहती है यहां तक कि बड़ी कठिनाई से कहीं यह ऋण चुकाने की नौबत आती है। आपने इस गति–विधि से अपने अधिकारियों को भी सावधानी बरतने पर विवश कर दिया।

❖❖❖

–पिछले अंक से आगे

नमाज़ की हक़ीक़त व अहम्मीयत

–मौलाना मुहम्मद मंजूर नोमानी रह0

–हिन्दी लिपिः हुसैन अहमद

नमाज़ों के अज्ज़ा व अ़नासिर की एक तम्सील और खुशूअ व हुजूर की अहम्मीयतः–

नमाज़ में खुशूअ व हुजूर की अहम्मीयत को ज़ैल की तम्सील से गालिबन आप अच्छी तरह समझ सकेंगे।

जिस तरह इन्सान बहुत से अज्ज़ा का मजमूआ़ है, मसलन उस में रूह है जो हम को नज़र भी नहीं आती, मगर वही इन्सान का सब से अहम जुज़ है और उसी से उस की जिन्दगी काइम रहती है। अला हाज़ा जिगर, मेदा, क़ल्ब व दिमाग वह आज़ा है कि इन में से अगर एक भी जाता रहे तो इन्सान ज़िन्दा नहीं रह सकता। फिर इन के अलावा हाथ, पांव, आँख, कान, नाक, ज़बान यह ऐसे आज़ा हैं कि उनमें से हर एक पर अगर चे इन्सान की ज़िन्दगी मौकूफ नहीं, लेकिन फिर भी इन की खास और गैर मामूली अहम्मीयत है और उन में से कोई एक भी माऊफ हो जाए तो आदमी में बड़ा नुक्सान आ जाता है और इन्सानीयत के बहुत से मक़ासिद फौत हो जाते हैं। फिर इनके अलावा कुछ ऐसे अज्ज़ा हैं जिन को सिर्फ खूबसूरती में दख्ल है और उनके न होने या खराब होने से आदमी बद सूरत और क़बीहुल मंजर मालूम होने लगता है। जैसे की दाढ़ी के बाल, पलकों के बाल, नाक या कान का खारजी हिस्सा वगैरा वगैरा। फिर इन सब के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको सिर्फ कमाले हुस्न में दख्ल है, मसलन उठी हुई नाक, बुलन्द पेशानी, कमानदार भोएं, रंग में सफेदी और सुर्खी की आमेजिश वगैरा वगैरा।

बिल्कुल इसी तरह नमाज़ के बहुत से अज्ज़ा हैं, जिन में से बाज़ बाज़ से ज़ियादा अहम हैं मसलन अल्लाह तआ़ला की लाशरीक उलूहीयत और उसकी शाने रहीमी व क़ह्हारी का तसव्वुर करते हुए उसके हुक्म की तामील का क़स्द उस की इबादत का इरादा (यानी नीयत जो क़ल्ब का कार्य है) और दौराने नमाज़ में उस की अज़मत व किबरियाई और अपनी ज़िल्लत व पस्ती का ध्यान, और फिल जुम्ला, खुशूअ़ व खुजूअ़ की कैफीयत, यह सब ब–मंजि–लए रूह के हैं। लिहाजा बिल फर्ज कोई नमाज़ इन से बिल्कुल खाली हो तो यक़ीनन वह बे रूह नमाज़ है और उसकी मिसाल बिल्कुल उस इन्सानी ढांचे की सी है जिसके जाहिरी आज़ा हाथ पांव वगैरा सही व सालिम हों लेकिन उसमें से रूह निकल चुकी हो, अलगरज़ नमाज़ में नीयत और अल्लाह तआला की अज़मत व किबरियाई का ध्यान और खुशूअ़ की कैफीयत का दर्जा वही है जो इन्सान के वजूद में रूह का है।

फिर कियाम व क़िराअ़त, रूकूअ़ व सुजूद वगैरा अरकाने नमाज़ की हैसियत बिल्कुल वह है जो इन्सानी

हैकल में दिल, व दिमाग और जिगर व मेदा जैसे आज़ाए रईसा की है। पस जिस तरह इन आजा में से अगर एक अज्व भी निकाल दिया जाए तो इन्सान ज़िन्दा नहीं रह सकता, इसी तरह नमाज़ के अरकान में से अगर कोई रुक्न फौत हो जाए तो नमाज़ बाक़ी न रहेगी।

फिर तीसरा दर्जा वाजिबात का है, इन में से किसी के फौत हो जाने से नमाज़ ऐसी ही नाकिस हो जायेगी जैसे कि जाहिरी आज़ा हाथ, पांव, आंख, नाक वगैरा के जाते रहने से इन्सान नाकिस और अधूरा रह जाता है।

चौथा दर्जा सुनन व मुस्तहब्बात का है, पस नमाज़ में जो चीज़ें सुन्नत और मुस्तहब दर्जे की हैं, उनके फौत हो जाने से ऐसी ही कमी और बद सूरती आ जाती है जैसा कि भओं या पलकों के बाल गिर जाने से या नाक, कान होंट का कोई हिस्सा कट जाने से आदमी बद सूरत हो जाता है।

पाँचवां दर्जा आदाब और लताइफ का है, मसलन यह कि नमाज़ के इफ़्तिताह यानी तक्बीरे तहरीमा के वक़्त और कियाम के दौरान में नमाज़ी के जाहिर व बातिन की कैफीयत क्या हो, किराअ़त किस तरह और किन रिआ़यात और कैफीयात के साथ करे, फिर रुकूअ़ और क़ौमा और सज्दा और जल्सा और क़ादा में और इन के दरमियानी इन्तिकालात में जाहिर व बातिन की क्या कैफीयत हो, यह सब नमाज़ के आदाब और लताइफ हैं और इन की हैसियत वही है जो इन्सान के जाहिरी व बातनी महासिन की होती है और जिस तरह जाहिरी व बातनी कमालात और महासिन की कमी व बेशी आदमी के दर्जा को घटाती और बढ़ाती है, इसी तरह नमाज़ों का दर्जा भी इन आदाब व लताइफ ही के लिहाज से अदना या आला होता है, यहां तक कि बसा औक़ात एक सफ में बराबर खड़े हो कर नमाज़ पढ़ने वाले दो आदमियों की नमाज़ों में (इन आदाब व लताइफ ही की कमी व बेशी से) कतरा व समन्दर और जर्रा व पहाड़ का सा फर्क हो जाता है।

एक शुब्हा और उस का इज़ालाः–

बाज़ पढ़े लिखे लोगों को भी देखा गया है कि वह कुतुबे फिक़्ह में खुशूअ़ व खुजूअ़ जैसी कैफीयात का जिक्र न पाने की वजह से इन चीज़ों को नमाज़ में बहुत ज़ियादा अहम और ज़रूरी नहीं समझते बल्कि सिर्फ तक्मीली दर्जे की चीज़ें समझते हैं, गोया उनके नज़दीक खुशूअ़ व खुजूअ़ वाली और खुशूअ़ व खुजूअ़ से खाली नमाज़ में सिर्फ औला और गैर औला का फर्क है, गालिबन उनके इस मुगालते की अस्ल बुन्याद यह है कि उन्होंने कुतुबे फिक़्ह को दीन का पूरा निसाब समझ लिया है, और उन का खयाल है कि जो चीज़ फिक़्ह की इन किताबों

में नहीं लिखी गई है वह दीन में ज़रूरी दर्जे की चीज़ ही नहीं है। हालांकि वाकिया यह है कि फिक़्ह का मौजूअ़ इन्सान के आमाल का सिर्फ जाहिरी पहलू है, और इसलिए हज़राते फुक़्हा अपनी किताबों में जाहिरी अरकान व शराइत ही का जिक्र करते हैं। इस बारे में उनकी मिसाल अतिब्बा और डाक्टरों की सी है जिस तरह वह इन्सानों की सिर्फ ज़ाहिरी और जिस्मानी सिहत व बीमारी से बहस करते हैं और उसी के मुतअल्लिक़ हिदायात देते हैं। दवाएं तजवीज़ करते और परहेज बतलाते हैं और इन्सान की रूहानी और अख़्लाक़ी हालत से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता है इसी तरह फिक़्ह में मुसलमानों के सिर्फ जाहिरी आमाल से जाहिरी अहकाम ही के एतिबार से बहस की जाती है और फुक़हाए किराम सिर्फ जाहिरी शराइत व अरकान के लिहाज से अमल का सही होना या न होना बतलाते हैं, बाक़ी आमाल की रूहानीयत मसलन इख्लास और एहतिसाब के साथ उन को अदा करना और अदाएगी के वक़्त खुशूअ़ व खुजूअ़ की कैफीयत का कल्ब में होना सो यह फिक़्ह का मौजूअ़ नहीं है। इसलिए हज़राते फुकहा इन उमूर में कलाम नहीं करते अगरचे इन की वाकई अहम्मीयत को वह दूसरों से भी ज़ियादा जानते हों यह चीज़ यानी आमाल की रूहानियत या ब– अल्फाज़े दीगर अल्लाह तआला के साथ उन आमाल की बातनी निस्बत, अस्हाबे इख्लास व एहसान (हज़राते सूफियाए किराम) के फन की चीज़ है, और वह अपनी किताबों में इन्सानी आमाल के इस बातनी पहलू से पूरी तफ़्सील के साथ बहस करते हैं और कुर्आन व हदीस चूंकि दीन के तमाम ज़ाहिरी व बातिनी शोबों पर हावी हैं इसलिए इन में जिस तरह नमाज़ के ज़ाहिरी अरकान व शराइत, कियाम व किराअ़त, रुकूअ़ व सुजूद वगैरा के मुतअल्लिक़ हिदायात दी गई हैं, उसी तरह इख्लास, एहसान, खुशूअ़ व खुजूअ़ जैसी बातिनी कैफीयात के मुतअल्लिक़ भी सख्त ताकीदात की गई हैं, जैसा कि इस मकाले ही के साबिका औराक़ से नाज़रीन को मालूम हो चुका है। अलगरज़ कुतुबे फिक्ह में इन उमूर का बयान न होने से यह समझना कि नमाज़ के लिए यह बातिनी कैफीयात कुछ ज़ियादा जरूरी नहीं हैं, बल्कि यह सिर्फ तक्मीली दर्जे की चीज़ें हैं, दरहक़ीक़त बहुत घटिया दर्जे की और बड़ी दौलत से महरूम कर देने वाली गलत फहमी है।

आमाल के बातिनी पहलू की तक्मील की आम फिक्री राह अहलुल्लाह की सुहबत हैः–

यहां यह भी अर्ज कर देना जरूरी मालूम होता है कि नमाज़ और दीगर इबादात के इस बातिनी पहलू की इस्लाह व तक्मील यानी हमारे आमाल में खुशूअ़ व खशीयत, इख्लास

व एहतिसाब और एहसान वाली कैफीयात का पैदा हो जाना (जिस को आमाल की रूहानियत भी कह सकते हैं) इस का ज़ियादा मुअस्सिर और आम तबाये (तबीअ़तों) के लिहाज़ से कामयाब तरीन जरीअ़ा तलब व इस्तिफादा की नीयत से अक़ीदत व महब्बत की नीयत से अक़ीदत व महब्बत के साथ ऐसे बन्दगाने खुदा की सोहबत है जिन को यह दौलत हासिल हो, वरना सिर्फ किताबों और रिसालों में ऐसे मज़ामीन के पढ़ लेने से अगरचे दिमाग़ तो कुछ ज़रूर बदल जाता है और दिल में शौक़ भी पैदा हो जाता है लेकिन सिर्फ इस मुताला ही से दिल के रुख का बदल जाना और बातिन में इन कैफीयात का पैदा हो जाना, और बिलखुसूस इस्तिकामत हासिल हो जाना अगरचे अक्लन मुहाल और नामुम्किन न हो लेकिन वाकिअ़ात की दुन्या में इसकी मिसालें ढूंढने वालों को भी शाज़ व नादिर ही मिल सकेंगी।

हज़रत इमामे रब्बानी मुजद्दिद अल्फेसानी रह0 जो इस फन के यकीनन ''इमामे आज़म'' हैं, ख्वाजा मीर मुहममद नोमान को (जो हज़रत मुजद्दिद रह0 के शेख हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह से भी बहुत कुछ इस्तिफादा कर चुके थे, बल्कि कहना चाहिए कि एक हद तक सुलूक की तक्मील कर चुके थे) एक मक्तूब में नमाज़ के कुछ असरार व मआरिफ लिखने के बाद इरकाम फरमाते हैं फारसी से अनुवादः–

''इन मक्तूबात के मुताले (अध्यन के पश्चात) अगर नमाज़ सीखने और उसके मख्सूस कमालात हासिल करने का शौक़ तुम्हारे दिल में पैदा हो और तुम्हें बेचैन कर दे तो इस्तिखारा करने के बाद इधर का रुख करो और यहां आ कर अपनी उम्र का कुछ हिस्सा नमाज़ की तालीम और तक्मील में सर्फ करो अल्लाह तअ़ाला ही ठीक रास्ते पर चलाने वाले हैं''। (जिल्द अव्वल–मक्तूबः261)

गोया ख्वाजा मीर मुहम्मद नोमान जैसे अकाबिर को भी अपनी नमाज़ की तक्मील की जरूरत है, और वह भी हज़रत इमामे रब्बानी के मक्तूबात में नमाज़ के असरार व मआरिफ पढ़ कर अपनी इस कमी को पूरा नहीं कर सकते बल्कि सर हिन्द हाज़िर हो कर हज़रत मुजद्दिद की सुहबत ही से यह चीज उनको हासिल हो सकती है।

वाकिआ यही है कि इस किस्म की चीज़ें सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से और किताबी मुताले से हासिल नहीं होती बल्कि अल्लाह तौफीक दे तो किसी अल्लाह के बन्दे की सुहबत ही से हासिल की जा सकती हैं। आरिफे रूमी ने बिल्कुल ठीक कहा है। फारसी का भावार्थः–

''इन सिफात को अल्लाह वालों की सुहबत से अलग मत तलाश कर अल्लाह वाला बन अल्लाह वालों की सुहबत में अल्लाह वाला बन, अपने अन्दर खाकसारी पैदा कर के अल्लाह वाला बन।''

जो लोग अपने जाहिर परस्ताना और माद्दा परस्ताना जौक़ की वजह से इस चीज़ की अहम्मीयत समझने से क़ासिर हैं या जिन का गुरूरे इल्म और पिन्दारे दानिश उन के लिए ''हिजाबे अक्बर'' बन गया है और इसलिए दीन के बाब में वह किसी ऐसी चीज़ का एतिराफ करने और उसके जानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं जो खुद उनको हासिल नहीं है, वह अगर इस किस्म की चीज़ों को न जानें और उन की अहम्मीयत को न समझें या इन्कार करें तो खिलाफे तवक्को नहीं, इस किस्म के इन्सानों की यह आम और क़दीमी आदत है। ''बल्कि वह उस को इसलिए झुठलाते हैं कि वह बात उनके इल्म से बाहर है।''

बहर हाल क़ल्ब का रुख बदलने और अपने आमाल के बातिन की, बल्कि खुद अपने बातिन की निस्बत अल्लाह तआ़ाला से सही तौर पर क़ाइम करने काआम और फित्री तरीक़ा अहले इखलास व एहसान और अस्हाबे निस्बत की सुहबत ही है और यह कीमिया सिर्फ इन कीमियागरों के ही कदमों में मिलती है। फारसी का भावार्थ– ''तुझ को इख्लास की महब्बत की खुशबू उस वक़्त तक न मिलेगी जब तक तू मुख्लिसीन की सुहबत न इख्तियार करेगा''।

सहा–बए–किराम रज़ि0 को तमाम रूहानी कमालात इसी राह से हासिल हुए थे। और इस बारे में उनकी हिस इतनी लतीफ हो गई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मजलिसे मुबारक से गैर हाजरी के वक़्त वह अपनी कैफियात में खुली तब्दीलियां महसूस करते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इसकी शिकायत करते थे। हज़रत हंजला रज़ि0 और हज़रत अबू बक्र रज़ि0 के वाकिआ़त मालूम व मशहूर हैं, और बाज़ सहाबा का यह बयान कुतुबे हदीस में मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब इस दुन्या से परदा फरमाया था तो आप के दफ्न से अभी हम पूरी तरह फारिग न हुए थे और हम ने अभी हाथ भी न झाड़े थे कि हमने अन्दरूनी कैफीयत में तब्दीली महसूस की।

मानी मतलब समझ कर नमाज़ पढ़ने की अहम्मीयतः–

खुशूअ़ व हुजूर की तरह नमाज़ में फहम की तरफ से भी आम तौर से गफलत बरती जाती है और इसकी कोई खास ज़रूरत व अहम्मीयत ही नहीं समझी जाती, हालांकि खुशूअ़ व हुजूर की तरह यह भी नमाज़ की रूह है और बिला शुब्हा इसके बगैर नमाज़ बहुत नाकिस दर्जा की रहती है। बाज़ किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया गया है कि आप ने इरशाद फरमाया, अनुवादः ''बन्दे को अपनी नमाज़ के उतने हिस्सा का अज्र मिलेगा जो उसने समझा है।''
(एहयाउल उलूम, मिफ़्ताहुस्सआ़दा)

हाफिज़ इब्ने क़य्यिम अपनी किताब ''अस्सलात व अहकामु तारिकुहा'' में यही रिवायत इन लफ्ज़ों ''नमाज़ से तुम को कुछ न मिलेगा सिवाय इसके जो तुम ने उसमें से समझा है'' के साथ नक़्ल करके इस की तशरीह

करते हैं ''नमाज़ी ने अगर अपनी नमाज़ के किसी एक ही जुज्व को समझ कर अदा किया तो उसको अज्र व सवाब सिर्फ उसी जुज्ज का मिलेगा अगरचे नमाज़ की फरजीयत का बोझ उसके सर से उतर गया।''

और इस मक़ाले ही के पिछले सफहात में ''तफ्सीर इब्ने कसीर'' से नक़्ल किया जा चुका है कि ''सख्त वईद उन लोगों को भी शामिल है जो नमाज़ समझ बूझ के नहीं पढ़ते हैं।''

और वाकिअ़ा यह है कि जो शख्स नमाज़ की हक़ीक़त पर कुछ भी गौर करे और सिर्फ इतनी सी बात समझ ले कि नमाज़ दर अस्ल अल्लाह तआ़ला की इबादत और उसके सामने बन्दे की नियाज मन्दाना अर्ज़ व मारूज़ है और हम्द व सना, तस्बीह व तम्जीद और दुआ व इस्तिगफार और तशहहुद व दुरूद पर मुशतमिल चन्द अज़कार और चन्द ताजीमी अफआल (कियाम, रुकूअ व सुजूद वगैरा) से उसकी हक़ीक़त मुरक्कब है, और यह सब उसके अज्जा और अनासिर हैं (और एहसास व शऊर और समझ बूझ के बगैर जबान से अल्फाज़ का निकलना या उठना बैठना इन अज़कार व अफआ़ल के हक़ीक़ी मक़ासिद को पूरा नहीं करता) वह साफ तौर से समझ सकता है कि जो नमाज़ इस तरह अदा की जाए कि पढ़ने वाले को कुछ खबर न हो कि मेरी ज़बान से जो कुछ अदा हो रहा है उस का मतलब क्या है वह अस्ली और हक़ीक़ी नमाज़ नहीं है, और ऐसी नमाज़ों से सिर्फ फर्ज का बोझ भी अगर सर से उतर जाए तो अल्लाह तआ़ला का करम ही है।

और यह ख्याल करना कि अ़जमियों (गैर अ़रबों) के लिए यह नामुम्किन है और उनके हक़ में इसको लाज़िम करना ''तक्लीफ मालायुताक़ (ऐसा काम जो उनकी ताक़त से बाहर हो) है''। दीन की अहम्मीयत न समझने का नतीजा है। अगर मान लिया जाए कि पूरी नमाज़ का समझना अच्छी खासी अरबी दानी पर मौकूफ है, और हम अजमियों के लिए मुश्किल है तो इतना तो यक़ीनन बहुत आसान है कि नमाज़ में जो अज़कार बार बार पढ़े जाते हैं जैसे कि तक्बीर, तस्बीहात, समिअ़ल्लाहु लि–मन–हमदः, रब्बना ल्कल हम्दु, सूरे फातिहा, सना, तशह्हुद, दुरूद शरीफ आखिरी इस्तिगफार इन सब के माने याद कर लिए जाएं। अगर बिल्कुल बे पढ़े आदमी भी कोशिश करें तो इनशाअल्लाह हफ्ता अशरा में इन तमाम अज़कार के माने याद कर सकते हैं।

आखिर जब नमाज़ के अल्फ़ाज़ भी बिला सीखे और बगैर याद किये याद नहीं होते और कोशिश किए बगैर नमाज़ पढ़ना नहीं आता और यह सब सीखना और याद करना ही पड़ता है तो फिर थोड़ा सा वक़्त और थोड़ी सी मेहनते मज़ीद सर्फ कर के कम अज़ कम इन मुकर्ररा अज़कार के माने याद क्यों नहीं किए जा सकते। अस्ल बात यही है कि इस को गैर ज़रूरी समझा जाता है। अल्लाह अल्लाह! दुन्या में किसी मामूली से मामूली आदमी से भी बे सोचे समझे बात करना किसी को पसन्द

नहीं, मगर अल्लाह तआ़ला से अर्ज व मारूज़ करने के लिए खुद अपनी बात का मतलब समझने की भी ज़रूरत और अहम्मीयत नहीं समझी जाती। अफ्सोस! अल्लाह की वह कद्र न की जो उसका हक़ है।''

नमाज़ समझ कर पढ़ने की इन्तिहाई व इम्कानी कोशिश की जाए लेकिन जब तक ऐसा न हो सके तो जैसी नमाज़ आती है वह हर गिज हर गिज छोड़ी न जाए।

जारी.....

❖❖❖

प्यारे नबी की प्यारी .....

बुखारी की एक रिवायत में हज़रत आईशा रज़ि0 से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते सुना है कि फरिशतों की एक जमात बादलों में उतरती है और उन बातों का चर्चा करती है जो आसमान में मुकद्दर हो चुकी हैं पस शैतान चोरी छुपे सुन कर काहिनों को पहुंचा देते हैं और काहिन उस एक सच्ची खबर में सौ झूठ अपनी ओर से मिला कर बयान करते हैं। (बुखारी) अर्थात एक बात सच होती है उसके सच्चे होने की वजेह से उनके सौ झूठ छुप जाते हैं।

काहिन की बात मानने वाले का हुक्मः-

हज़रत सफिया बिन्ते अबू उबैद रज़ि0 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की किसी बीवी से रिवायत करती हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते थे जिस आदमी ने किसी काहिन या नुजूमी से कोई गैब की बात पूछी, फिर उसको मान लिया तो उसकी चालीस दिन की नमाज़ें कुबूल नहीं की जाती।

(मुस्लिम)

अर्थात फर्ज तो अदा हो जाता है मगर सवाब नहीं मिलता।

बातिल और गंदी खबरेंः-

हज़रत क़बीस बिन मखारिक़ रज़ि0 से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है, आप फरमाते थे कि इयाफत, तियरह, और तर्क़, जिब्त में से हैं। (अबू दाऊद)

इयाफतः– लकीर खींचने को कहते हैं।

तियरहः जानवर के दायें या बायें उड़ने से नेक–बद फाल लेना।

तर्क़ः उड़ता जानवर, इस प्रकार कि उसके उड़ने से बरकत या नहूसत समझी जाय।

जिब्तः बातिल और गंदा के माने में है, यह ऐसा शब्द है जिसे बुतों, काहिनों और जादूगरों के लिए प्रयोग किया जाता है।

इल्मे नुजूम जादू की एक किस्म हैः-

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जिसने इल्मे नुजूम सीखा, उसने जादू की एक किस्म हासिल की और जिस कद्र इल्मे नुजूम सीखा उसी कद्र जादू हासिल किया। (अबू दाऊद)

–प्रस्तुति– ◆◆◆

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

इस्लाम के प्रचार-प्रसार का तरीका

—प्रस्तुतिः जमाल अहमद नदवी —अल्लामा शिब्ली नोमानी रह0

इस्लाम के प्रचार का यह अर्थ नहीं कि लोगों को तलवार के बल पर मुसलमान बनाया जाय, इस्लाम के प्रचार का यह अर्थ है कि समस्त संसार को इस्लाम की ओर बुलाया जाये और लोगों को नियमों, सिद्धान्तों और मस्ले–मसाइल समझा कर इस्लाम की ओर आकर्षित किया जाये। हज़रत उमर रज़ि0 जिस मुल्क पर फौजें भेजते थे आदेश देते थे कि पहले उन लोगों को इस्लाम की तरगीब दिलाई जाये और इस्लाम की मान्यतायें समझाई जायें वह फौज पर ऐसा अफसर तैनात करते थे, जो बड़े ज्ञानी और इस्लामी फिक्ह में बड़े माहिर होते थे यह जाहिर है कि फौजी अफसरों के लिए ज्ञान और फिक्ह की जरूरत इसी इस्लाम प्रचार की जरूरत से थी, ईरानियों और ईसाइयों के पास जो इस्लामी राजदूत गये, उन्होंने बड़ी खूबी और सफाई से इस्लाम के नियम मान्यतायें उनके समक्ष बयान किये।

इस्लाम के प्रचार की बड़ी तदबीर यह है कि दूसरी क़ौमों को इस्लाम का जो नमूना दिखाया जाय वह ऐसा हो कि खुद बखुद लोगों के दिल इस्लाम की ओर खिंच आयें, हज़रत उमर रज़ि0 के काल में बहुत ही तेजी से इस्लाम फैला और इसकी बड़ी वजह यही थी कि उन्होंने अपने प्रशिक्षण और उपदेशों से समस्त मुसलमानों को इस्लाम का असली नमूना बना दिया था। इस्लामी फौजें जिस देश में जाती थीं, लोगों को चाहे न चाहे उनको देखने का शौक पैदा होता था। क्योंकि चंद देहात के रहने वाले बद्दुओं का संसार को अपने कब्जे में करने के लिए उठना हैरत और आश्चर्य से खाली न था, इस प्रकार जब लोगों को उनके देखने और उनसे मिलने जुलने का संयोग होता था तो एक एक मुसलमान सच्चाई, सादगी, पाकीजगी, जोश और इख्लास एवं निःस्वार्थता की तस्वीर नज़र आता था। यह चीज़ें खुद बखुद लोगों के दिल को खींचती थीं और इस्लाम उनके दिलों में समा जाता था। ◆◇◆

आपके प्रश्नों के उत्तर?

—मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः आज कल खरीद व फरोख्त में कहा जाता है कि जो शख्स भी फलां सामान खरीदेगा, उसे एक लिफाफे में बन्द कूपन दिया जायेगा और उस कूपन पर जो इन्आम लिखा होगा वह खरीदार को दिया जाएगा, क्या इस तरह खरीद–फरोख्त करना और उस पर मिलने वाले इन्आम का लेना जाइज़ है?

उत्तरः कूपन के जरीये जो चीज़ दी जाती है वह इनआम है जो अस्ल (सामाने बैअ़–बिका हुआ सामन) के अलावा दी जाती है, इस्लामी शरअ में जो चीज़ बेची जाती है उसके लिए जरूरी है कि वाजेह (स्पष्ट) और मुतअ़य्यन (निश्चित) हो, कोई इबहाम (अ–स्पष्टता) न हो, लेकिन जो चीज़ इनआम के तौर पर दी जाती है उसके लिए यह शर्त नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बाज़ मवाक़े पर मुजाहिदीन के लिए इनआम मुकर्रर फरमाया कि जो दस्ता फलां मुहिम को अन्जाम देगा मसलन उसको माले गनीमत का चौथाई हिस्सा खुसूसी तौर पर दिया जाएगा। उसमें यह मुतअय्यन नहीं कि माले गनीमत की चौथाई मिक़्दार कितनी होगी? और चौथाई में से उस दस्ते के अफराद को फी कस कितना माल हासिल होगा? फुकहा ने लिखा है कि बेचने वाले के लिए अपनी तरफ से सामान में इजाफा कर देना इसी तरह खरीदार का बतौरे खुद कीमत में इजाफा करना जाइज़ है, लिहाजा सामान की खरीद पर जो इनआमी कूपन मिले, शरअन जाइज है।

(जामे तिर्मीजी हदीसः1305)

प्रश्नः अगर किसी कारखाने के माल की सप्लाई दूसरे स्टेट वगैरा में होती है तो जिस पार्टी के पास माल भेजा जाता है वह अक्सर अजनबी होती है जिस की वजह से उन से रूपये वसूल करने में परेशानी होती है, इसलिए जो भी बिल बनता है वह बैंक में भेज दिया जाता है और बैंक से रूपया वसूल कर लिया जाता है फिर बैंक वाले इस पार्टी से रूपये वसूल होने तक जितनी मुद्दत होती है, एक खास मिक़्दार में माल भेजने वाले से सूद वसूल करते हैं, क्या इस तरह बैंक के तवस्सुत से कारोबार करना जाइज़ है?

उत्तरः बैंक या किसी भी सूदी इदारे से तआवुन दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अगर कानूनी या मआशी वजह से वह इस कदर जरूरी हो जाए कि इस के बगैर कारोबार बन्द हो जाने का या शदीद नुकसान का अन्देशा हो तो मजबूरन कारोबार को बचाने और शदीद खसारे से बचने के लिए एक वक़्ती जरूरत समझ कर बैंक के जरिये मुआमला किया जा सकता है। लेकिन महज रूपये की वसूली में ताखीर ऐसा उज़्

नहीं है जिस की वजह से बैंक के तवस्सुत से कारोबार की शरअन इजाज़त दी जाए, अल्लाह तआला और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस पर सख्त वईद सुनाई है।

अनुवादः *''अल्लाह तआला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया'' (अलबकराः 275) और हदीस में आया है–*

अनुवादः *अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सूद लेने वाले और सूद देने वाले और उस पर गवाही करने वाले और उस की तहरीर लिखने वाले इन सब पर लानत की है।''*

(तिर्मीजी हदीसः1206)

प्रश्नः दौरे हाज़िर में शादी के मौक़े से जहेज़ और जोड़े के लेन देन की जो वबा फैली हुई है, उस के पेशे नज़र अगर कोई शख्स बैंक में लड़की के नाम से फिक्स डिपाजिट कराए कि इसी पैसे से जहेज और जोड़े की रक़म देंगे, तो क्या ऐसा तरीक़ा इख्तियार करना जाइज है?

उत्तरः एक तो जहेज़ का मुतालबा और शादी के मौके से लेन देन की रस्म खुद गुनाह है मज़ीद यह कि उस मम्नूअ़ा चीज़ को देने के लिए बैंक में फिक्स डिपाजिट करना और सूदी रकम हासिल करना मज़ीद गुनाह है जो जाइज़ नहीं है बल्कि इससे एहतिराज जरूरी है, ईमान वालों से अल्लाह तआला का फरमान है कि सूद से बचो।

(अलबकराः 278)

प्रश्नः किसी शख्स के पास इतनी रक़म है कि वह उससे छोटे मोटे कारोबार कर सकता है, लेकिन वह चाहता है कि बैंक से लोन ले कर ऊँचे पैमाने पर कारोबार करे, क्या शरई नुक–तए–नज़र से इस सूरत में बैंक से लोन लेना जाइज़ है?

उत्तरः आम हालात में सूदी कर्ज लेना जाइज़ नहीं है, कुर्आन में इसकी सख्त मुमानअत आई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सूद लेने वाले पर लानत फरमाई है।

(अबुदाऊद, हदीसः 3333)

कारोबार को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए सूद जैसे सख़्त गुनाह वाले मुआमला में मुलव्विस होना जाइज़ नहीं है, फुकहा ने इसकी इजाज़त सिर्फ उसी वक़्त दी है जब कि ज़रूरत की तक्मील और ज़रूरी रोज़गार की फराहमी के लिए इसके सिवा कोई चा–रए–कार न हो।

(अल–इशबाह वन्नजाइर लि–इब्ने नजीमः 92)

प्रश्नः क्या मुसलमानों को ब–यक वक़्त चार निकाहों का हुक्म है या ब–यक वक़्त चार निकहों की इजाज़त है?

उत्तरः मुसलमानों को ब–यक वक़्त चार निकाहों का हुक्म नहीं है सिर्फ इजाज़त है और वह इजाज़त भी दो शर्तों के साथ हैः–

1. दो, तीन चार बीवियों का खर्च और जुम्ला हुकूक़ अदा करने पर क़ादिर हो।
2. और सब के साथ अद्ल व इंसाफ कर सकता हो।

प्रश्नः निकाह का क्या हुक्म है?

उत्तरः जब आदमी पर शहवत (काम इच्छा) इतनी गालिब हो जाय कि उसे गुमान गालिब हो कि वह शादी नहीं करेगा तो ज़िना (व्यभिचार) में मुबतला हो

जाएगा, उस वक़्त उस के लिए निकाह करना वाजिब होगा और आम हालात में निकाह करना सुन्नते मुअक्किदा है, लेकिन अगर उसे यह खौफ हो कि वह मुम्किन है कि बीवी के साथ अच्छा सुलूक न कर सकेगा और उसके हुक़ूक़ न अदा कर पाएगा तो निकाह करना मकरूह है और अगर उसे यक़ीन हो कि बीवी पर जुल्म व जियादती करेगा तो निकाह करना हराम है।

प्रश्नः क्या रोज़े के लिए नीयत करना ज़रूरी है?

उत्तरः हाँ रोज़े के लिए नीयत करना शर्त है, अगर किसी ने नीयत के बगैर रोज़ा पूरा कर लिया तो रोज़ा नहीं होगा।

प्रश्नः नीयत किस वक़्त करना ज़रूरी है?

उत्तरः रमज़ान शरीफ और नज़्रे मुअ़य्यन और सुन्नत और नफ़्ल रोज़ों की नीयत रात से करे या सुब्ह को आधे दिन से पहले पहले तक जाइज़ है दिन से मुराद शरई दिन है जो सुब्हे सादिक़ से गुरूबे आफताब तक माना जाता है मसलन अगर चार बजे सुब्हे सादिक़ हो और छः बजे आफताब गुरूब हो तो शरई दिन चौदह घंटे का हुआ और आधा दिन ग्यारह बजे हुआ तो ग्यारह बजे से पहले पहले नीयत कर लेना ज़रूरी है। याद रहे शरई आधा दिन ज्वाल से काफी पहले हो जाता है।

कज़ाए रमज़ान और कफ़्फ़ारा, नज़्रे गैर मुअय्यना की नीयत सुब्हे सादिक़ से पहले कर लेना ज़रूरी है।

प्रश्नः नीयत किस तरह करना चाहिए?

उत्तरः रमज़ान शरीफ और नज़्रे मुअय्यना और सुन्नत और नफ़्ल रोज़ों की नीयत में तो खास उन रोज़ों का क़स्द करे या सिर्फ यह इरादा कर ले कि रोज़ा रखता हूं बहर सूरत रमज़ान के दिन नज़्र का रोज़ा और बाक़ी दिनों में सुन्नत या नफ़्ल का रोजा हो जाएगा और नर्ज़े गैर मुअय्यना और कफ़्फ़ारों और क़जाए रमज़ान की नीयत में खास उन रोजों का क़स्द करना जरूरी है।

प्रश्नः नीयत ज़बान से करना ज़रूरी है या नहीं?

उत्तरः नीयत कस्द और इरादा करने को कहते हैं, दिल से इरादा कर लेना काफी है, ज़बान से कह ले तो बेहतर है, अगर ज़बान से न कहे तो कोई हरज नहीं।

प्रश्नः किन चीज़ों से रोज़ा मक्रूह नहीं होता?

उत्तरः 1. सुर्मा लगाना। 2. बदन पर तेल मलना या सर में तेल डालना। 3. ठन्डक के लिए गुस्ल करना। 4. मिस्वाक करना, चाहे ताज़ी जड़ या तर शाख की हो। 5. खुश्बू लगाना या सूंघना। 6. भूले से कुछ खा पी लेना। 7. खुद ब खुद कै हो जाना । 8. अपना थूक अन्दर ही अन्दर निगलना। 9. बिला कस्द मक्खी या धुएं का हल्क़ से उतर जाना।

प्रश्नः जिन बातों से रोज़ा टूट जाता है, और सिर्फ क़ज़ा लाज़िम होती है वह क्या हैं?

उत्तरः (1) किसी ने ज़बरदस्ती कुछ खिला दिया और वह चीज़ हल्क से नीचे उतर गई।

शेष पृष्ठ....32 पर..

रोज़े की अहम्मीयत (महत्व)

—मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी—

—हिन्दी लिपिः हुसैन अहमद

कुर्आने मजीद की मुतअ़द्दिद (अनेक) आयात और बेशुमार (अनगिनत) अहादीसे नबवीया से रोज़े की न सिर्फ अहम्मीयत और फ़जीलत मालूम होती है, बल्कि इस का शुमार उन फर्ज़ इबादात में होता है जिन पर ईमान व इस्लाम की बुन्याद है। कुर्आने पाक में है कि –

अनुवदः ''मुसलमानों! तुम्हारे ऊपर रोज़े इसी तरह फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुम से पहले दूसरी उम्मतों पर फर्ज़ किए गए थे।''

(अल बकराः 183)

इससे मालूम होता है कि नमाज़ की तरह रोज़े का हुक़्म भी अल्लाह तआ़ला ने दूसरी उम्मतों को भी दिया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले जितने नबी और रसूल दुन्या में गुजरे हैं, उन सब ने उस की ताकीद की थी, और उसे फर्ज करार दिया था। अहले किताब के यहां रोज़े का रवाज आज भी बाक़ी है, उनके अलावा मुश्रिक कौमों में व्रत का रवाज भी कुर्आने पाक की इस तारीखी शहादत पर यक़ीन के लिए काफी है, सिर्फ जो फर्क़ है वह रोज़ों की तादाद और वक़्त में है, यह उम्मते मुस्लिमा की खुसूसीयत है कि इस पर पूरे एक महीने के रोज़े फर्ज किए गए हैं, कुर्आन ने ''मिन क़ब्लिकुम'' (तुम से पहले) के लफ़्ज़ से महज एक तारीखी हक़ीकत ही का इज़हार नहीं किया है बल्कि इसमें मुसलमानों के सामने उस की तबई मशक़्क़त को यह बता कर आसान बनाया है कि तुम से पहले अगली उम्मतें भी इस मशक़्क़त को बर्दाश्त कर चुकी हैं, कुर्आने मजीद जो इस दुन्या में अल्लाह की सब से बड़ी नेमत और दौलत है इस का नुजूल इसी मुबारक महीने से शुरुअ़ हुआ। अनुवादः ''रमज़ान का महीना वह है जिस में कुर्आन पाक नाज़िल होना शुरुअ़ हुआ।''

(अल बकराः 185)

इस आयत से यह मालूम होता है कि कुर्आन रोज़े के महीने से नाज़िल होना शुरुअ़ हुआ, कुर्आन पाक ही की दूसरी आयत से यह भी वाज़ेह होता है कि रमज़ान में ही उस मुबारक रात से उस का नुजूल शुरुअ़ हुआ, जिस को लैलतुलक़द्र'' (रमज़ान के एक अत्यन्त शुभ रात) कहा जाता है।

इसके बारे में मुफस्सिरीन के दरमियान थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि वह कौन सी रात थी, किसी ने 25 की रात को उस का मिस्दाक़ करार दिया है, किसी ने 21वें को मगर चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह फरमाया है ''लैलतुलकद्र'' रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में से किसी में पड़ेगी, इस लिए उन्हीं पांच रातों में से किसी में कुर्आने पाक का नुजूल शुरुअ़ हुआ।

कुर्आन पाक की सूरे बकरा कि आयत 183 "लअ़ल्लकुम तत्तकून" (ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ) और आयत नं0 185 "लअ़ल्लकुम तश्कुरून" (ताकि तुम शुक्र करने वाले बन जाओ) के जुम्ले पर खत्म होती है "लअल्लकुम तत्तकून" का मतलब यह है कि रोज़े से तुम्हारे अन्दर तक़्वा यानी परहेज़गारी और खुदा का खौफ पैदा होना चाहिए, गोया रोजे की रूह और उस की गायत, तक़्वा पैदा करना है, और तक़्वा नाम है "अल्लाह के खौफ की वजह से अपने जज़्बात और ख्वाहिशाते नफ़्स पर काबू पाने का" और यह चीज़ रोज़े के जरीए बदर–जए–अतम पूरी होती है, मुशाहदा है कि बुरे से बुरा आदमी भी रोज़े में कुछ न कुछ जरूर संवर जाता है। दूसरी आयत "लअल्लकुम तश्कुरून" के कई पहलू हैं और हर पहलु काबिले शुक्र है।

अगली उम्मतों को रोज़े का जो हुक्म दिया गया था उसमें सख्ती का पहलू गालिब था, वह रात में अपनी बीवियों के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन उम्मते मुहम्मदिया को इस की इजाज़त है, अगर कोई मरीज़ है तो वह रोज़े क़जा कर सकता है, हामिला (गर्भवती) और मुरज़िआ (दूध पिलाने वाली) के लिए आसानी है, अगर कोई बहुत ज़ईफ (बूढ़ा) है तो उसके लिए फिद्या है। उसका दूसरा पहलू यह है कि इस महीने में वाकई रोजेदार के दिल में अल्लाह की अज़मत, किबरियाई और शुक्र गुज़ारी का जज़्बा पैदा होता है, हम रोज़ाना खाना खाते हैं और पानी पीते हैं मगर खाने और पानी की जो क़द्र और लज़्ज़त रोज़ा इफ़्तार करते वक़्त रोज़ेदार को मालूम होती है वह दूसरे को नहीं मालूम हो सकती, खाने का एक एक लुक्मा और पानी का एक एक कतरा जब हलक़ के नीचे उतरता है तो यह अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत मालूम होती है कि गोया उससे पहले वह उसकी लज़्ज़त जानता ही नहीं था। अगर जरा भी शऊर हो तो उस के लिए आदमी के अन्दर जज्–बए–शुक्र जरूर पैदा होगा, उसी जज्बे का इज्हार रोज़ा इफ़्तार करने की दुआओं में होता है।

अनुवादः "ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरी दी हुई रोज़ी से इफ़्तार किया, प्यास चली गई और रगें ठन्डी हो गई और अज्र लिखा जा चुका इन्शा अल्लाह तआला" फिर उस की शुक्र गुज़ारी का सब से बड़ा पहलू यह भी है कि अल्लाह तआला ने कुर्आन जैसी नेमत इसी महीने में अता की जो हमारी ज़िन्दगी के लिए मजमू–अ़ए–हिदायत भी है और रूहानी ज़िन्दगी के लिए नुस–ख़ए–कीमिया भी है। गरज़ रोज़े से आदमी के अन्दर तक़्वा भी पैदा होता है और जज़्–बए–शुक्र भी और रोज़े की यह सब से बड़ी फज़ीलत है।

कुर्आने पाक के अ़लावा बेशुमार हदीसों में भी रोज़े की बड़ी फज़ीलत आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कुछ हदीसों के तर्जुमे मुलाहजा

हों, एक हदीस में है कि अल्लाह तआला ने फरमाया कि ''हर नेकी का सवाब बन्दों के आमाल नामे में दस गुने से सात सौ गुने तक लिखा जाता है लेकिन रोज़ा खास मेरे लिए है और मैं खुद उस का बदला दूंगा।''

(बुखारी)

इस का मतलब यह है कि जिस तरह अल्लाह की कुदरत की कोई इन्तिहा नहीं है, इसी तरह रोज़े के अज्र की भी कोई मिक़्दार मुकर्रर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से ज़ियादा पसन्दीदा है।'' और फरमाया ''रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए एक ढाल है।'' और फरमाया कि ''जिन रोज़ेदारों के रोज़े मक़्बूल हो जाएंगे उनके लिए क़ियामत के दिन एक दरवाज़ा होगा जिससे वह जन्नत में दाखिल होंगे उस दरवाज़े का नाम ''रैयान'' है यानी सैराब करने वाला'' और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि ''जब रमज़ान शुरुअ़ होता है तो शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जहन्नम का दरवाज़ा बन्द कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं।'' और फरमाया ''रोज़ा कियामत के दिन अल्लाह से सिफारिश करेगा, वह कहेगा कि या अल्लाह इस ने मेरी वजह से खाना पीना और अपनी ख्वाहिशे नफ़्स को छोड़ दिया था, तू उसकी मगफिरत फरमा।''

लेकिन यह अज्र व सवाब उस वक़्त मिलेगा, जब रोज़ा मक़्बूल (स्वीकृत) हो और किसी इबादत के मक़्बूल होने के लिए सब से ज़रूरी चीज़ खुलूस (शुद्ध हृदयता) है। यानी वह इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए की गई हो, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें खुलूस दूसरी इबादतों के मुकाबले में ज़ियादा होता है। एक आदमी अगर चाहे तो छुप कर खा पी सकता है या अपनी ख्वाहिशे नफ़्स (काम इच्छा) पूरी कर सकता है और यह सब करते हुए खुदा के अलावा उसे कोई देख नहीं सकता, मगर इस के बावजूद न तो वह खाता पीता है और न अपनी ख्वाहिशे नफ़्स पूरी करता है तो उसके यह माने हैं कि वह खुदा ही के लिए रोज़ा रखता है। इसी वजह से अल्लाह ने कहा है ''रोज़े का बदला मैं दूंगा''।

लेकिन इस खुलूस के बावजूद बाज़ आमाल ऐसे हैं जो रेाज़े के खुलूस को खराब कर देते हैं और रोज़ेदार उस के सवाब से महरूम हो जाता है। रोज़े में लड़ाई, झगड़ा करना, गाली गलोज करना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, चुगली करना, हराम माल खाना। जो लोग इन बातों से नहीं बचते उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तर्जुमा : ''जो शख्स गलत काम झूट और गुनाह की बात और गुनाह का काम न छोड़े तो अल्लाह को उसकी ज़रूरत नहीं कि वह अपना खाना पीना छोड़ दे।

(बुखारी)

गलत बात और गलत अमल में ज़बान और जिस्म का हर बुरा और गलत अमल शामिल है। आप ने एक दूसरे मौक़े पर फरमाया तर्जुमाः ''कितने रोज़ेदार हैं जिन को भूखा प्यासा रहने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता।'' (मिशकात)

इसी बिना पर आपने फरमाया है कि रोज़े से गुनाह जरूर मुआफ होते हैं, मगर इसके लिए दो शर्तें हैं एक ईमान और दूसरे एहतिसाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः तर्जुमाः ''जिसने रमज़ान में रोज़ा रखा ईमान और एहतिसाब के साथ उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए गए।'' ईमान तो यह है कि उसको अल्लाह, आखिरत रिसालत वगैरा पर यक़ीन हो और एहतिसाब यह है कि रोज़ा अल्लाह ही के लिए रखा गया हो और उसको तमाम बुराइयों से महफूज़ रखा गया हो। उसमें दिखावा और नमूद व नुमाइश न हो।

ईमान व एहतिसाब की कैद लगा देने से यह भी मालूम हो गया कि जो लोग ईमान और एहतिसाब के बगैर भूखे प्यासे रहते हैं उनका भूखा प्यासा रहना रोज़ा नहीं है इसी बिना पर व्रत (बरत) और भूख हलड़ताल वगैरा को इस्लामी शरीअ़त में रोज़ा नहीं कहा जाएगा। अगर इन तमाम बातों का खयाल कर के आदमी रोज़ा रखे तो जैसा कि कुर्आन में कहा गया है। वाकई आदमी परहेज़गार और मुत्तक़ी बन सकता है और उस का नफ़्स उसके क़ाबू में आ सकता है।

इसी अहम्मीयत की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान का महीना शुरुअ़ होने से पहले ही और रमज़ान के दरमियान बराबर सहाबा रज़ि0 को रोज़ा मक़बूल बनाने की ताकीद फरमाया करते थे। आपने बार बार फरमाया है कि ''जो शख्स ईमान व एहतिसाब के साथ रोज़ा रखेगा उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे''। मशहूर सहाबी हज़रत सलमान फारसी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शाबान के आखिरी दिनों में सहाबा रज़ि0 के मजमा में एक तकरीर फरमाई जिसमें फरमाया कि ''एक बहुत ही मुबारक महीना तुम्हारे ऊपर साया किए हुए है। इस महीने में एक रात हजार महीनों से ज़ियादा बेहतर है। दिन में उसके रोज़े फर्ज हैं और रात की इबादत में बड़ा सवाब है। इसमें नफ़्ल का सवाब फर्ज़ के बराबर, और फर्ज़ का सवाब सत्तर फर्जों के बराबर मिलता है यह सब्र का महीना है और सब्र का अज्र जन्नत है। यह हमदर्दी (सहानुभूति) और सुलूक (सद्व्यवहार) का महीना है। इसमें मोमिन की रोज़ी ज़ियादा हो जाती है। जो शख्स रोज़ेदार को इफ़्तार करा दे उसको एक रोज़े का सवाब मिलेगा। इस पर सहाबा रज़ि0 ने पूछा, या अल्लाह के रसूल हम में से हर शख्स के पास इतना वाफिर खाना तो नहीं होता कि खुद भी खाएं और किसी को इफ़्तार भी कराएं। आपने फरमाया कि अगर कुछ न हो तो एक खजूर या एक घूंट

पानी ही से इफ़्तार करा दो।

गौर कीजिए कि कितने सहाबा रज़ि0 के पास इतना ज़ियादा खाना भी न होता था कि वह किसी दूसरे को इफ़्तार करा सकें। मगर उसके बावजूद वह रोज़ा रखते थे। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हाल भी यही रहता था कि आपको कभी कभी रोज़े पर रोज़ा रखना पड़ता था। यानी मुश्किल से पेट भर खाना मुयस्सर होता था।

(बुखारी–मुस्लिम)

रोज़े से बेपरवाहीः-

अफ़सोस है कि इस ज़माने में शरीअ़त के दूसरे अहकाम की तरह रोज़े की तरफ से भी बड़ी बे परवाही पैदा हो गई है। चन्द साल पहले गुनहगार से गुनहगार मुसलमान भी रमज़ान में रोज़ा रख कर पाकीज़ा ज़िन्दगी गुज़ारने की कोशिश करता था और औरतें तो सौ फीसद रोज़ा रखती थीं। मगर अब यह हालत बाक़ी नहीं रह गई है बल्कि बाज़ बे हया तो रोज़े के दिनों में खुले बन्द खाते पीते और सिग्रेट बीड़ी पीते नज़र आते हैं, इनके दिल में ज़र्रा बराबर भी खुदा का खौफ दिखाई नहीं देता। जिस तरह रोज़े का बेहद सवाब है उसी तरह उसके बे उज्र शरई छोड़ने का गुनाह भी बेहद व हिसाब है और रोज़े में बे हयाई से खाने पीने वालों को दुहरा अज़ाब होगा।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर.....

(2) रोज़ा याद था और कुल्ली करते वक़्त बिला क़स्द हल्क़ में पानी उतर गया। (3) खुद से कै आई और क़स्दन कुछ हिस्सा हल्क़ में लौटा लिया। (4) कस्दन मुँह भर के कै कर डाली (अगर जरा सी कै कस्दन भी की तो रोज़ा नहीं टूटा) (5) कंकरी या पत्थर का टुकड़ा या गुठली या मिट्टी या कागज़ का टुकड़ा कस्दन निगल लिया। (6) कान में तेल या दवा डाली। (7) नास लिया। (8) दाँतों में से निकले हुए खून को निगल लिया जब कि खून थूक पर गालिब हो। (9) भूले से कुछ खा पी लिया और यह समझ कर कि रोज़ा टूट गया फिर कस्दन खाया पिया इन सब चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है मगर सिर्फ क़ज़ा लाज़िम आती है।

प्रश्नः किन सूरतों में रोज़ा तोड़ने पर क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों लाज़िम आते हैं?

उत्तरः रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ा रख कर ऐसी चीज़ जो गिज़ा या दवा या लज्ज़त के तौर पर इस्तेमाल की जाती है कस्दन खा पी ली। रमज़ान में रोज़े की हालत में क़स्दन सुहबत कर ली, इन सूरतों में क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों लाज़िम होंगे।

प्रश्नः रोज़ों का फिद्या क्या है?

उत्तरः हर रोज़े के बदले पौने दो सेर (एक किलो छे सौ ग्राम) गेहूं या साढे तीन सेर (तीन किलो दो सौ ग्राम) जौ या इनमें से किसी एक की क़मीत या इन की क़ीमत के बराबर कोई और गल्ला मसलन चावल, ज्वार, बाजरा वगैरा गरीब मुसलमान को देना।

❖❖❖

भारत का विधान, धर्म का सम्मान

—अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी

मज़हब की आस्था को छेड़ो नहीं भाई।
तुम देश के कानून को, तोड़ो नहीं भाई।।

हर धर्म मानने की, इस देश में आज़ादी।
धर्म की आज़ादी को, तोड़ो नहीं भाई।।

भारत को देवी मानना, इस्लाम के ख़िलाफ।
क़ुर्आन के क़ानून को, तोड़ो नहीं भाई।।

मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना।
धर्म में विवाद को, जोड़ो नहीं भाई।।

है देश का सिपाही, भारत का सारा मुस्लिम।
तुम शक के दायरे में, देखो नहीं भाई।।

वीर नहीं होगा, गांधी का कोई क़ातिल ।
क़ातिल को वीर श्रेणी में, जोड़ो नहीं भाई।।

भारत तो देवी का, समलिंग नहीं है।
भारत की राष्ट्रभाषा से, खेलो नहीं भाई।।

मिल जुल के लड़ी हम ने, आज़ादी की लड़ाई।
आपस का भाई चारा, तोड़ो नहीं भाई।।

हर धर्म का सम्मान हो, सिद्दीक़ी कह रहा है।
भारत का यह विधान है, तोड़ो नहीं भाई।।

रोज़ों से मुतअ़ल्लिक़ कुछ अहम बातें

—फौज़िया सिद्दीक़ा फाज़िला

अचानक ऐसी बीमारी पड़ गई की अगर रोज़ा न तोड़ें तो जान पर बन आएगी या बीमारी बहुत बढ़ जाएगी तो रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है, जैसे अचानक पेट में ऐसा दर्द उठा कि बेताब हो गये या सांप ने काट लिया तो दवा पी लेना और रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है। ऐसे ही अगर ऐसी प्यास लगी की हलाकत का डर है, तो भी रोज़ा तोड़ डालना दुरुस्त है।

हामिला औरत को ऐसी बात पेश आ गई जिस से अपनी जान का या बच्चे की जान का डर है तो रोज़ा तोड़ डालना दुरुस्त है।

किसी औरत को खाना पकाने की वजह से बेहद प्यास लग आई और इतनी बेताबी हो गई कि अब जान का खौफ़ है तो रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है, अगर खुद से उसने इतना काम किया जिससे ऐसी हालत हो गई तो गुनहगार होगी।

अगर ऐसी बीमारी है कि रोज़ा रखना नुक़सान करता है और यह डर है कि अगर रोज़ा रखेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी या जान जाती रहेगी तो रोज़ा न रखे जब अच्छा हो जाए तो उसकी क़ज़ा रख ले लेकिन फ़क़त अपने दिल से ऐसा ख़याल कर लेने से रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त नहीं है बल्कि जब कोई मुसलमान दीनदार तबीब कह दे कि रोज़ा तुम को नुक़सान करेगा तब छोड़ना चाहिए।

अगर हकीम ने तो कुछ कहा नहीं लेकिन खुद अपना तजरबा है और कुछ ऐसी निशानियां मालूम हुई जिनकी वजह से दिल गवाही देता है कि रोज़ा नुक़सान करेगा तब भी रोज़ा न रखे। अगर बीमारी से अच्छा हो जाये लेकिन अभी कमज़ोरी बाक़ी है और यह ग़ालिब गुमान है कि रोज़ा रखा तो फिर बीमार पड़ जाएगा तब भी रोज़ा न रखना जाइज़ है।

अगर कोई मुसाफिर सफर में हो तो उसको भी दुरुस्त है कि रोज़ा न रखे फिर कभी उसकी क़ज़ा कर ले। मुसाफिर वह है जो कम से कम 78 किमी के सफर पर हो।

मुसाफ़िरत में अगर रोज़े से कोई तकलीफ़ न हो जैसे रेल पर सवार है और यह ख़याल है कि शाम तक घर पहुंच जाऊंगा या अपने साथ सब राहत व आराम का सामान मौजूद है तो ऐसे वक़्त सफर में भी रोज़ा रख लेना बेहतर है।

और अगर रोज़ा ना रखे तब भी कोई गुनाह नहीं हां रमज़ान शरीफ के रोज़े की जो फज़ीलत है उससे महरूम रहेगा और अगर सफर में रोज़ा की वजह से तकलीफ और परेशानी हो तो ऐसे में रोज़ा ना रखना बेहतर है।

अगर सफर में कहीं पन्द्रह दिन रहने की नीयत से ठहर गया तो अब रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं क्योंकि शरअ़ से अब वह मुसाफ़िर नहीं रहा, अलबत्ता अगर पन्द्रह दिन से कम ठहरने की नीयत हो तो रोज़ा न रखना दुरुस्त है।

शेष पृष्ठ....37 पर

शरई उसूल व कुयूद की अहम्मीयत

इस्लामी शरीअत के नियमों तथा प्रतिबन्धों का महत्व

—मौलाना शम्सुलहक़ नदवी—

—हिन्दी लिपिः हुसैन अहमद

अपनी बात शुरुअ करने से पहले अस्ल मौज़ूअ़ (विषय) के समझने के लिए इस्लामिक विचारक मौलाना सय्यिद अबुल हसन अली नदवी रह0 का दो दो चार की तरह समझ में आने वाला एक वाकिया सुना देना मुनासिब मालूम होता है।

हज़रत मौलाना रह0 की नौजवानी का ज़माना था, उस वक्त आप तन्हा सफर फरमाया करते थे, एक सफर में हज़रत जिस डिब्बे में थे उस में दर्से निज़ामी के पढ़ने वाले चन्द तलबा (विद्यार्थी) ऊँचे दरजात के, सफर कर रहे थे, उसमें एक पढ़े लिखे गैर मुस्लिम भी सवार थे, उन्होंने उन तलबा से सवाल किया कि नमाज़ों में रकआत की तादाद किसी वक़्त तीन, किसी वक़्त चार मुकर्रर करने की क्या ज़रूरत है? नमाज़ तो इबादत है, दो के बजाए चार पढ़ लें, तीन के बजाए पाँच पढ़ लें, चार के बजाए आठ पढ़ लें, तो क्या हरज है? उन तलबा ने अपनी अक़्ल से जवाब दिया और उन को खामोश किया मगर वह दूसरा तीसरा सुवाल करते जाते, तलबा के जवाब से वह चुप तो हो गए लेकिन लगा कि मुतमइन (संतुष्ट) नहीं हुए।

हज़रत मौलाना रह0 सवाल व जवाब की सारी बहस खामोशी से सुन रहे थे, जब देखा कि वह गैर मुस्लिम सज्जन खामोश तो हो गए मगर मुतमइन नहीं हुए तो हज़रत मौलाना रह0 ने फरमाया कि इजाज़त हो तो हम भी कुछ अर्ज करें, सब ने कहा हाँ हाँ!! जरूर फरमाइये तो हज़रत मौलाना ने उन गैर मुस्लिम साहिब को मुखातब करके फरमाया ''आप यह बताइये कि फौजी परेड में काशन देने वाला अगर लेफ्ट कहे मगर फौजी राइट पर अमल करें और इसी तरह काशन देने वाला राइट कहे मगर फौजी लेफ्ट पर अमल करें और कहें हम जो पैर चाहें उठाएं, तो बताइये क्या हो? वह साहिब बोले ऐसा कैसे हो सकता है जो फौज का उसूल (नियम) है उसी के मुताबिक़ लेफ़्ट या राइट कदम उठाना होगा।

हज़रत मौलाना ने फरमाया यही बात नमाज की रकअतों की है इस्लामी शरीअत ने जो हुक्म दे रखा है उस पर अमल करना होगा, इस जवाब से वह गैर मुस्लिम साहिब पूरी तरह मुतमइन हो गए और कहा अब बात अच्छी तरह समझ में आ गई।

इस्लामी शरीअत में जो उसूल व जाबिते और हुदूद व कुयूद मुकर्रर किए

हैं, उन की हिक्मत व मसलहत यही है कि इन्सानी मिज़ाज, उस की ख्वाहिशात हिर्स व हवस, माल की महब्बत मनसब की चाहत, ऊँचा मरतबा, शुहरत व नामवरी का शौक ऐसा है कि अगर शरई अहकामात और पाबन्दियां न हों, तो आदमी मज़कूरा ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कत्ल, लूटमार, दूसरों का हक मारना, जुल्म व जियादती (अत्याचार) फुहश कारी, बेहयाई, गरज हर वह काम कर सकता है, जिससे अम्न व सुकून, इफ्फत व पाकबाज़ी और आपसी प्यार व महब्बत खत्म हो जाए, और इन्सानी आबादी दरिन्दों और भेड़ियों की आबादी में तब्दील हो जाए।

इस वक़्त खुली आँख नज़र आ रहा है कि जहां शरई हुदूद व कुयूद को गलत पाबन्दी समझा जा रहा है, वहां का माहौल कितना खौफनाक व घिनौना है, उलमा व दुआत (धर्म परचारक) और मुबल्लिगीन व मुस्लिहीन जब उन शरई हुदूद व कुयूद को अपनाने की दावत देते हैं, तो दुन्या की महब्बत में डूबे हुए बहुत से लोग यह कहते हैं कि अल्लाह तआला ने हर तरह की आज़ादी और वुसअत दी है, लेकिन उलमा ने दीन को बड़ा तंग और मुशकिल बना दिया है।

देहली में एक नवाब फैजुल्लाह खाँ थे जो बड़े बेबाक और आज़ाद मशरब थे, जो जी में आता बे झिझक कह देते, शाह मुहम्मद याकूब मुजद्दिदी रह0 फरमाते हैं कि लोग मुझे भी उन से डराते थे, मैं उन की बातें सुन लेता था, एक मरतबा वह नवाब साहब कहने लगे कि अल्लाह तआला ने हर तरह की आज़ादी और वुसअत दी है, उलमा ने दीन को बड़ा तंग और मुशकिल बना दिया है और हर तरह की पाबन्दियाँ आइद कर दी हैं, फितरत पाबन्दियों से घबराती है।

मैंने कहा कि एक मदरसा है जिसमें पाबन्दियां हैं, लिबास की पाबन्दी, निज़ाम की पाबन्दी, अवक़ात की पाबन्दी, तालीम और इम्तिहानात की पाबन्दी, दूसरा मदरसा है जिसमें कोई पाबन्दी नहीं है, हर तरह की आज़ादी, जब जी चाहे आओ, जितना जी चाहे पढ़ो, पढ़ो या न पढ़ो जब तक जी चाहे मदरसे में रहो, जो जी चाहे पहनो, लोग अपने बच्चों को पहले मदरसा में दाखिल करेंगे या दूसरे मदरसा में, नवाब साहिब कहने लगे पहले मदरसा में दाखिल करेगा, दूसरे मदरसा में तो कोई भी लड़के को दाखिल करके उसकी उम्र को बेकार और उसको आवारा नहीं बनाएगा। मैंने कहा बस इस्लाम भी पहले ही किस्म का मदरसा है, पाबन्दियां और उसके अहकामात, इस्लाह व तरबियत और नज़्म व निज़ाम काइम रखना, इन्सान के फाइदे ही के लिए हैं,

इन वाजबी और जरूरी पाबनिदयों से कहीं और किसी को चारा नहीं है इस पर नवाब साहिब खामोश हो गए, बहुत से जदीद तालीम याफ्ता और आज़ाद खयाल लोगों की मिसाल नवाब साहिब ही जैसी है इसलिए वह बहुत सी शरई पाबन्दियों और उलमा की मुखालफत करते हैं।

माहौल (वातावारण) से मुतअस्सिर हो कर इस वक़्त उमूमी तौर पर मुसलमानों का हाल यह हो रहा है कि वह शरई उसूल व जवाबित को तरक़्क़ी की राह में रुकावट तसव्वुर करते हैं, शुहरत व नामवरी के शौक में सूदी रकमें ले कर शादियों में गैर जरूरी इखराजात करते हैं, कारोबार में भी यही सूदी राह अपनाते हैं, नतीजा यह होता है कि जायदादें नीलाम होती हैं, घर बिक जाते हैं, खुदकुशी के वाकिआ़त होते हैं, हालांकि बकद्र किफाफ (जरूरत भर) पर जरूरत पूरी होती रहती है लेकिन शुहरत व नामवरी के शौक़ में शरीअत की खिलाफ वरजी कर के अपने आप को खुद मुसीबत में डालते हैं।

शरई उसूल व ज़वाबित ने तो बड़ी सहूलत व आसानियां रखी हैं मगर शुहरत की हिर्स व हवस के शौक में खुद अपने हाथों अपने को मुसीबत में डालते हैं, बहुत से दीन दार लोगों को देखा कि खिलाफे शरअ काम करके अपने आप को परेशानी में डाला, शरीअत ने ख्वाहिशाते इन्सानी को दबाया नहीं है बल्कि उस की पाकीजा और मुताबिक़े फितरत शकलें बताई हैं जिन को अपना कर इन्सानी मुआशरा सुकून व आराम की जिन्दगी गुजार सकता है लेकिन इन्सान शैतान के धोके में आ कर मुसीबत और परेशानी वाली राह को अपना कर अपने को अज़ाब में डालता है ऐसा कि रोने को आंसू नहीं मिलते। ◆◆

रोज़े से मुतअ़ल्लिक .....

मुसाफ़िरत में रोज़ा न रखने का इरादा था लेकिन दोपहर से एक घण्टा पहले ही अपने घर पहुंच गया या ऐसे वक़्त में पन्द्रह दिन रहने की नीयत से कहीं रहना पड़ा और अब तक कुछ खाया पिया नहीं है तो अब रोज़े की नीयत कर ले।

हामिला औरत और दूध पिलाने वाली औरत को जब अपनी जान का या बच्चे की जान का कुछ डर हो तो रोज़ा न रखे फिर कभी क़ज़ा रख ले।

औरत को हैज़ आ गया या बच्चा पैदा हुआ है और निफ़ास हो गया तो हैज़ और निफ़ास रहने तक रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं। अगर रात को हैज़ से पाक हो गई तो अब सुबह को रोज़ा न छोड़े अगर रात को न नहाई हो तब भी रोज़ा रख ले और सुबह को नहा ले और अगर सुब्ह होने के बाद पाक हुई तो अब पाक होने के बाद रोज़े की नीयत करना दुरुस्त नहीं लेकिन कुछ खाना पीना भी दुरुस्त नहीं है अब दिन भर रोज़ेदारों की तरह रहना चाहिए। ◆◆

इन्सान की तलाश

—डॉ0 कौसर यज़दानी नदवी

एक थे, दार्शिनिक, दिन में लालटेन लिए हुए,

रास्ते से गुज़र रहे थे, लगा कुछ खोज रहे हों

लोगों ने पूछा क्या बात है ? बोले, कुछ खो गया है, उस की तलाश में निकला हूँ,

दिन के उजाले में वह भी लालटेन ले कर ?

हां, दिन के उजाले में ही उसे खोज पाऊँगा,

रात के अंधेरे में तो पहचान करना बड़ा कठिन है,

इसमें तो सब एक जैसे लगते हैं।

आखिर क्या है वह ? कुछ तो मालूम हो ?

उत्तर मिला ? मुझे जिसकी तलाश है, उसे लोग ''इन्सान'' कहते हैं।

यह सुन कर कुछ चकित रह गये, कुछ गुस्से में आ गये,

बोले, क्या हम इन्सान नहीं हैं ? क्या हम कुछ और दिखाई पड़ते हैं ?

दार्शिनिक बोला, मैं सच कह रहा हूं, आप मान लीजिए,

नहीं मानते तो सुनिए, आप जैसे लोग, या तो व्यापारी हैं,

या कारोबारी या डॉक्टर हैं, या इंजीनियर या शिक्षक हैं, या गुरू, या नेता हैं, या समाज के बड़े, या स्त्री हैं या पुरुष, ईमानदारी से बताओ, क्या इनमें से कोई ऐसा भी है जो, हर एक का हक अदा करे, एक दूसरे का अधिकार पहचाने, सबको समान समझे, कोई भेद–भाव न करे, सबको प्यार करे, दुख–दर्द में काम आये, एक दूसरे की सेवा में लगा रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपने स्वामी, रचयिता, पालनहार कर्ता–धर्ता को पहचाने और उसी को समर्पित हो।

अहले खैर हज़रात की खिदमत में

2018 रमजानुल मुबारक में नदवतुल उलमा के लिए माली तआवुन हासिल करने की ग़रज़ से जिन असातिजह, कारकुनान व मुहस्सिलीन को जिस शहर या इलाक़े में भेजा जा रहा है, उसकी तफ्सील जैल में दी जा रही है, अहले खैर हज़रात से तआवुन की दरख्वास्त है।

–मौलाना फ़ख़रुल हसन खाँ नदवी, नाजिर शो–बए–तामीर व तरक्की नदवतुल उलमा, लखनऊ

क्रमांक	अस्माए गिरामी (नाम)	मोबाइल नं0	उहदा (पद)	इलाक़ा या शहर
1	कारी फ़ज्लुर्रुहमान सा0 नदवी	9919490477	उस्ताद हिफ़्ज़	मुम्बई
2	हाफिज अब्दुल वासे साहिब	9307884504	उस्ताद हिफ़्ज़	मुम्बई, भिवन्डी, मालेगांव
3	मौलाना अब्दुल वकील साहिब नदवी	9889840219	कारकुन शो–बए– इस्लाह मुआशरा	मुम्बई
4	मौ0 मुहम्मद इस्माइल सा0 न0	8604346170	उस्ताद माहद (महपतमऊ)	मुम्बई
5	मौलाना अब्दुल्लाह साहिब नदवी	7499549301	कारकुन द0 दारुल उलूम	मुम्बई न्यु मुम्बई
6	मौलाना मुहम्मद असलम साहिब मजाहिरी	9935219730	उस्ताद दारूल उलूम	मद्रास, विजयवाड़ा
7	मौ0 मुहम्मद इरफान सा0 नदवी	7505873005	उस्ताद माहद (महपतमऊ)	मद्रास, विजयवाड़ा
8	मौलाना मुहम्मद क़ैसर हुसैन साहिब नदवी	7897254496	उस्ताद दारूल उलूम	नवसारी, सूरत, धौलिया, वापी, बेलसाड़
9	मौलाना शफीक अहमद साहिब बांदवी नदवी	9935997860	उस्ताद माहद दारूल उलूम (सिकरौरी)	पटटन, पालनपुर व अतराफ
10	मौ0शमीम अहमद साहिब नदवी	9935987423	उस्ताद दारूल उलूम	हैदराबाद, निजामाबाद, नान्देड़
11	मौलाना अनीस अहमद साहिब नदवी	9450573107	उस्ताद दारूल उलूम	भटकल, शिमोगा टुमकूर, मन्की, मरड़ेश्वर
12	मौ0 रशीद अहमद साहिब नदवी	7795864313	उस्ताद दारूल उलूम	बंगलूर
13	मौ0 जुहैर अहसन साहिब नदवी	9889258560	उस्ताद माहद (सिकरौरी)	बंगलूर
14	मौ0 मुफ़्ती मु0 मुस्तकीम सा0न0	9889096140	उस्ताद दारूल उलूम	आसनसोल, कोलकाता
15	मौ0मुफ़्ती साजिद अली सा0 नदवी	8960204060	मुआविन इल्मी दारूलकज़ा	आसनसोल, कोलकाता
16	क़ारी अब्दुल्लाह खाँ सा0 नदवी	9839748267	उस्ताद तजवीद दारूलउलूम	देहली
17	हाफिज अकील अहमद साहब		उस्ताद हिफ़्ज़	हैदराबाद व आसपास
18	मौ0 मसऊद अहमद सा0 नदवी	9795715987	उस्ताद माहद (सिकरौरी)	कानपुर
19	मौ0 शकील अहमद सा0 नदवी	9305418153	कारकुन माहद (सिकरौरी)	इलाहाबाद

क्रमांक	अस्माए गिरामी (नाम)	मोबाइल नं0	उहदा (पद)	इलाक़ा या शहर
20	मौ0 मुहम्मद अमजद सा0 नदवी	9616514320	उस्ताद दारूल उलूम	संभल व अतराफ
21	मौलाना जमाल अहमद साहिब नदवी	9450784350	कारकुन शो–बए– दावत व इरशाद	मुगलसराय, सुल्तानपुर व अमेठी
22	बिस्मिल्लाह खाँ साहिब	9935169540	कारकुन माहद (सिकरौरी)	गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती
23	मौलाना मुहम्मद नसीम साहिब नदवी	9670049411	उस्ताद माहद (महपतमऊ)	कानपुर, सन्डीला, गौसगंज, शाहजहांपुर
24	मौलाना बशीरुद्दीन साहिब	9889438910	उस्ताद मक्तब	लखनऊ शहर
25	मौलाना इम्तियाज साहिब नदवी	9984070892	उस्ताद माहद (महपतमऊ)	लखनऊ शहर
26	कारी बदरुद्दीन साहिब नदवी	9450647360	उस्ताद हिफ़्ज़	लखनऊ शहर
27	हाफिज़ मुबीन अहमद साहिब	9839588696	उस्ताद मक्तब	लखनऊ शहर
28	मौ0 अब्दुल मतीन साहिब नदवी	9450970865	उस्ताद दारूल उलूम	रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद
29	मौलाना इकरामुद्दीन सा0 नदवी	9839840206	मुहस्सिल शोबा	आसनसोल, कोलकाता
30	मौलाना शरफुद्दीन साहिब नदवी	9936740835	मुहस्सिल शोबा	नागपुर, कानपुर
31	क़ारी माजिद अली सा0 नदवी	9935626993	मुहस्सिल शोबा	सीतापुर, इन्दौर, उज्जैन, भोपाल
32	मौलाना साजिद अली साहिब नदवी	8400015009	मुहस्सिल शोबा	कर्नाटक, आंबूर व गाजियाबाद
33	मौ0 हिफजुर्रहमान सा0 थानवी	9997883282	मुहस्सिल शोबा	आसाम, झारखण्ड, बिहार
34	मौलाना मुहम्मद रिजवान साहिब कासमी	8401801990	मुहस्सिल शोबा	अहमदाबाद व दीगर अजला गुजरात
35	हाफिज़ अमीन असग़र साहिब	9161219358	मुहस्सिल शोबा	अलीगढ़, आगरा, फिरोज़ाबाद, सहारनपुर, बुलन्दशहर, सिकन्द्राबाद
36	मौलाना अलीमुद्दीन साहिब नदवी	8853258362	मुहस्सिल शोबा	खन्डवा, रतनागिरी, पूना, सितारा, कोल्हापुर
37	मौलाना मुहम्मद मुस्लिम साहिब मजाहिरी	8960513186	मुहस्सिल शोबा	औरंगाबाद, जालना, पूना, अहमदनगर, बनारस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नजीबाबाद
38	मौ0 अब्दुलकुद्दूस सा0 कासमी	9161911515	मुहस्सिल शोबा	बनारस, भदोही, मिरजापुर
39	मौलाना अब्दुर्रहीम साहिब नदवी	7388509803	मुहस्सिल शोबा	बाराबंकी, झांसी, मऊ, आजमगढ़ व अतराफ
40	मौ0 अब्दुल माजिद खाँ साहिब	9918005726	मुहस्सिल शोबा	देहली, हरयाना व पंजाब

क्रमांक	अस्माए गिरामी (नाम)	मोबाइल नं0	उहदा (पद)	इलाक़ा या शहर
41	मौलाना मुहम्मद अक़ील साहिब नदवी	9389868121	उस्ताद मक्तब शहर	सीवान, चम्पारन, दरभंगा, समस्तीपुर, पटना
42	मौलाना अबुल हयात सा0 नदवी	9795891123	उस्ताद मक्तब शहर	पटना व अतराफ
43	मौलाना अब्दुल कबीर साहिब फारूक़ी	8853677677	उस्ताद मक्तब (महपतमऊ)	काकोरी व अतराफ लखनऊ
44	मौलाना मु0 मुशताक़ साहिब नदवी	9415102947	नाइब मुहतमिम (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	लखनऊ, कानपुर
45	हाफिज मुहम्मद नईम साहिब	9889444917	उस्ताद हिफ़्ज़ (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	मुम्बई, नागपुर
46	हाफिज बखशिश करीम साहिब	7388324879	उस्ताद हिफ़्ज़ (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	मुम्बई, पश्चिमी लखनऊ
47	कारी मुहम्मद सालिम साहिब	9889735087	निगरां तामीरात	मुम्बई, पुराना लखनऊ
48	मौलाना अब्दुर्रऊफ साहिब नदवी	9336096921	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	कानपुर, मगरबी लखनऊ, बनारस, भदोही
49	मौलाना फहरान आलम साहिब नदवी	9235711407	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	बस्ती, लखनऊ
50	मौलाना अशरफ अली रशीदी साहिब	7505526255	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	लखनऊ
51	मौलाना लुकमान साहिब नदवी	9616593360	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी
52	मौलाना सरताज अहमद साहिब कासमी	9889026124	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	लखनऊ
53	मौलाना सईद अन्जुम साहिब	9305902746	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	लखनऊ
54	डॉ0 मुहीउद्दीन साहिब	9415766507	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	लखनऊ
55	हाफिज नजमुद्दीन साहिब	9616624133	उस्ताद मक्तब	लखनऊ
56	हाफिज जलील अहमद साहिब	9956492163	उस्ताद मक्तब	लखनऊ
57	मास्टर जमाली आसी साहब	9336048990	उस्ताद मक्तब	लखनऊ, कानपुर
58	हाफिज रकीमुद्दीन साहिब नदवी	9621040705	कारकुन कुतुब खाना	लखनऊ
59	कारी लियाक़त साहिब	9450367182	उस्ताद हिफ़्ज़	लखनऊ
60	हाफिज मु0 आजम रहमानी सा0	9006373938	मुहस्सिल शोबा	मुम्बई

उर्दू सीखये

—इदारा

नीचे लिखे उर्दू जुम्ले पढ़ये, ज़रूरत पर पहले लिखे हिन्दी जुम्लों से मदद लीजिए

(1) अल्लाह ने रमज़ान के महीने में रोज़े रखने का हुक्म दिया है।
(2) अल्लाह का हुक्म मानो और रमज़ान में रोज़े रखो।
(3) गुनाहों से हमेशा बचो रमज़ान में और ज़ियादा बचो।
(4) रमज़ान में नेक कामों में ज़ियादा से ज़ियादा हिस्सा लो।
(5) अल्लाह ने माल दिया है तो अपने माल से गरीबों की मदद करो।
(6) अल्लाह के दिये हुए माल से दीनी मदरसों की मदद ज़रूर करो।
(7) रोज़ाना कुर्आने मजीद की तिलावत करो और अल्लाह से दुआएं मांगो।
(8) अनपढ़ों से कहो कि उनको जो सूरतें याद हैं उनको रोज़ाना बार बार पढ़ें।
(9) तरावीह की नमाज़ एहतिमाम के साथ अदा करो।
(10) जितना कर सको रोज़ेदारों को इफ़्तार कराओ।
(11) प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर रोज़ाना दुरूद व सलाम खूब पढ़ो।

(۱) اللہ نے رمضان کے مہینہ میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔

(۲) اللہ کا حکم مانو اور رمضان میں روزے رکھو۔

(۳) گناہوں سے ہمیشہ بچو، رمضان میں اور زیادہ بچو۔

(۴) رمضان میں نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لو۔

(۵) اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرو۔

(۶) اللہ کے دیئے ہوئے مال سے دینی مدرسوں کی مدد ضرور کرو۔

(۷) روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اللہ سے دعائیں مانگو۔

(۸) ان پڑھوں سے کہو کہ ان کو جو سورتیں یاد ہیں ان کو روزانہ بار بار پڑھیں۔

(۹) تراویح کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔

(۱۰) جتنا کر سکو روزہ داروں کو افطار کراؤ۔

(۱۱) پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود وسلام خوب پڑھو۔